



# सौलहवां वार्षिक प्रतिवेदन

(1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए)



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय श्री बलरामजी दास टंडन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग  
के सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17) का अनावरण करते हुए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार  
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का

## सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन

(01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिये)

छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल  
को प्रस्तुत

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17



## छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

श्री आर.एस. विश्वकर्मा

अध्यक्ष

(अवधि दिनांक 12/06/2015 से 16/01/2017 तक)

श्री के.आर. पिस्टा

अध्यक्ष

(अवधि दिनांक 17/01/2017 से निरंतर)

श्री शिवनारायण पाण्डेय

सदस्य

(अवधि दिनांक 5/12/2014 से निरंतर)

श्री मोहन लाल मंडावी

सदस्य

(अवधि दिनांक 10/11/2015 से निरंतर)

अध्यक्ष तथा सदस्यगणों के जीवनकृत का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट एक में दिया गया है।

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17



## विषय सूची

**अध्यायों की सूची :-**

अध्याय क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	01
2.	उत्पत्ति एवं विकास	02-03
3.	लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान	04-08
4.	आयोग की संरचना	09-10
5.	आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन	11
6.	ऑनलाइन आवेदन	12
7.	परीक्षा	13-14
8.	अंतिम चयन	15-18
9.	राज्य सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में वैश्लेषिक ऑकड़े	19
10.	आयोग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	20
11.	भर्ती नियम, सेवा नियम	21
12.	पदोन्नतियों	22-23
13	अनुशासनिक मामले	24
14	वित्त	25
15	न्यायालयीन प्रकरण	26
16	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रकरणों के निराकरण की जानकारी	27-28
17	प्रस्तावित कार्य-योजना	29-30
18	कृतज्ञता ज्ञापन	31

**परिशिष्ट की सूची :-**

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	आयोग के पदाधिकारियों का जीवन वृतान्त।	32-35
2.	आयोग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दिनांक 31 / 03 / 2017 की स्थिति में	36-37
3.	अंतिम चयन	38-50
4.	विभागीय भर्ती नियम में आयोग का अभिमत दिए जाने का विवरण	51
5.	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव जिन पर आयोग की सहमति दी गई।	52-56
6.	विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील प्रकरणों का विवरण	57-74
7.	मांग संख्या 01, लेखा शीर्ष 2051 लोक सेवा आयोग, (102) राज्य लोक सेवा आयोग ,(3689) राज्य लोक सेवा आयोग, आयोजनेत्तर, वित्तीय वर्ष 2016–17 (माह 01 / 04 / 2016 से 31 / 03 / 2017 तक) व्यय एवं समर्पण	75-78

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17



## अध्याय -एक

### प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत आयोग का यह सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2016–17 के लिए आयोग की मुख्य गतिविधियों का समावेश किया गया है। उक्त अवधि में आने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करना प्रासंगिक है।

- प्रतिवेदित वर्ष में सीधी भर्ती के कुल 2957 पदों के विरुद्ध 2033 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची राज्य शासन के संबंधित विभागों को भेजी गई है।
- विभागीय पदोन्नति समिति के मामलों में प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान आयोग को पदोन्नति प्रकरणों में शासन के अधिकांश विभागों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप उक्त अवधि में विभागीय पदोन्नति समिति की कुल 82 बैठकें आयोजित की गईं।
- आयोग द्वारा संपादित कार्यों में गुणवत्ता एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं और यह कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन करके एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग से ही संभव हो पा रहा है। आयोग ने इस दिशा में कार्य करते हुए कम्प्यूटर आधारित आनलाईन परीक्षाएं आयोजित की हैं। इस अवधि में कुल 10 ऑन लाईन परीक्षा आयोजित की गई है।
- वर्तमान आयोग कार्यालय जल संसाधन विभाग के पुराने विश्रामगृह में संचालित है। जगह की कमी से कार्यालय संचालन में कठिनाई है। नया रायपुर में आयोग कार्यालय हेतु सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन प्राप्त हो चुका है भवन निर्माण के लिए बजट प्रावधान भी किया जा चुका है। भवन निर्माण एन.आर.डी.ए. द्वारा किया जाना है। अभी निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है।

मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आयोग को शासन से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता रहेगा, जिससे कि अपेक्षाओं के अनुरूप आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यों में अधिक गुणवत्ता लाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर सके।

स्थान: रायपुर

दिनांक 17 / 10 / 2017



(के. अमर. सिंह)  
अध्यक्ष

## अध्याय -दो

### उत्पत्ति एवं विकास

लोक सेवा आयोगों के संस्थापन का आरंभ 1919 में तत्कालीन अंग्रेजी शासकों द्वारा भारत के लिये स्वायत्त शासन की आवश्यकता के आधार पर किया गया। 5 मार्च 1919 के भारतीय वैधानिक सुधार विषयक प्रथम प्रेषणापत्र में कहा गया कि—

“अधिकतर राज्यों में, जहाँ स्वायत्त शासन की स्थापना हो चुकी हैं, इस बात की आवश्यकता अनुभूत की जाती हैं, कि सार्वजनिक सेवाओं को राजनीतिक प्रभावों से सुरक्षित रखना चाहिए और उसके हेतु एक ऐसा स्थायी कार्यालय स्थापित किया गया है, जो विविध सेवाओं का नियंत्रण करता है। हम लोग इस समय भारत में ऐसे सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना के लिये उद्यत नहीं हैं, परंतु हम देख रहे हैं, कि ये सेवाएँ, क्रम से, अधिकाधिक मंत्रियों के नियंत्रण में आती जाएँगी, जिसके कारण यह उचित है, कि इस प्रकार की संस्था का आरंभ किया जाय।”

1919 के भारतीय शासन विधान में इस भावना की व्यावहारिक अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का विधान था, जिसकी सेवाओं के लिये पदाधिकारियों की भर्ती, भारत की सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कर्तव्य होंगे, जिनका निर्देश सपरिषद भारत सचिव करेंगे। परंतु उस आयोग की स्थापना तत्काल नहीं हुई। 1923 में, लॉर्ड ली के नेतृत्व में, एक रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ, जिसको भारत उच्च सेवाओं के ऊपर विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। उस कमीशन ने, अपने 27 मार्च 1924 के विवरण में, लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, जिसका 1919 के विधान में संकेत किया गया था। उसका प्रस्ताव था, कि उक्त आयोग के निम्नलिखित चार मुख्य कार्य होंगे।

1. सार्वजनिक सेवाओं के लिये कर्मचारियों की भर्ती।
2. सेवाओं में प्रविष्ट होनेवाले व्यक्तियों की योग्यताओं का विधान तथा उचित मान स्थिर करना,
3. सेवाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा नियंत्रण एवं अनुशासन की व्यवस्था करना, जो लगभग न्यायविधान की कोटि का कार्य है।
4. सामान्य रूप से सेवा संबंधी समस्याओं पर परामर्श एवं अनुमति देना।

उक्त लोकसेवा आयोग की स्थापना 1926 के अक्टूबर मास में हुई। एक नियमावली बनाई गई, जिसमें इस बात का विधान था, कि अखिल भारत की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं के, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के निर्धारण, जिनके द्वारा कर्मचारियों का निर्वाचन हो, उक्त सेवाओं के लिये पदोन्नति, अनुशासनीय कार्य, वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रॉविडेंट फंड एवं पारिवारिक पेंशन विषय आदि मामलों में सरकार

उससे परामर्श ले। किसी किसी वर्ग विशेष या सभी सेवाओं के नियमाधार तथा छुट्टी आदि के नियमों के प्रश्नों पर भी सरकार उक्त आयोग से परामर्श करेगी।

उक्त नियमावली में आयोग के लिये जो नियम निर्दिष्ट किए गए थे, उनका सुधार तथा स्थायीकरण उसी श्वेतपत्र के द्वारा हुआ, जिसमें वैधानिक सुधारों के लिये ऐसे प्रस्ताव थे, जिनके अनुसार प्रत्येक राज्यों के लिये भी आयोगों की स्थापना करने का विधान था। उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था करना, जिनके द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव हो, केंद्रीय तथा राज्यों के आयोगों का कर्तव्य बतलाया गया। सरकार को आयोगों से इसका भी परामर्श करना था, कि सेवाओं के लिये, किस प्रकार चुनाव के द्वारा नियुक्ति हो, पदोन्नति कैसे किए जाएँ, एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण कैसे किए जाएँ, आदि। उक्त श्वेतपत्र में यह प्रस्ताव भी किया गया था, कि सरकार को आयोगों से भिन्न विषयों पर भी परामर्श लेना चाहिए।

1935 के भारतीय विधान के परिच्छेद 266 में, उपर्युक्त प्रस्तावों को स्थायी रूप दिया गया। उसमें लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया। यह कहा जा सकता है, कि उक्त विधान के द्वारा ही आयोगों की अंतिम एवं स्थायी रूप में रचना की गई थी। आज के केंद्रीय अथवा राज्यों के आयोग का संगठन, रूप एवं आधार, सब उसी पर अवलंबित हैं।

स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा ने अनुभव किया, कि सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के साथ ही सेवा हितों की रक्षा के लिए संघीय एवं प्रांतीय, दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को एक सुदृढ़ और स्वायत्त स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता है, तदानुसार केन्द्र तथा राज्यों में पृथक—पृथक लोक सेवा आयोग गठन करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया।

सौजन्य :— विकिपिडिया

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवम्बर 2000 को हुआ तथा तात्कालिक प्रावधानों के अनुसार दिनांक 23 मई 2001 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315(1) के उपबंधों के अधीन किया गया है।

## अध्याय - तीन

### लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान

#### अनु. 315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग:-

इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

#### अनु. 316. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग:-

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी:

परन्तु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी—अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत के क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है।

(1) यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो यथास्थिति, जब तक रिक्त पद पर खंड (1) के अधीन नियुक्ति कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है, तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य, जिसे संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति करें, उन कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा:

परंतु—

- (क) लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा
- (ख) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड (1) या खंड (3) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

- (ग) कोई व्यक्ति, जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

#### **अनु. 317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना:-**

- (1) खंड (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् किया गया है, कि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।
- (2) आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके संबंध में खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा, जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।

#### **(3) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य-**

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या
- (ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगाता है, या
- (ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैयित्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा।
- (4) यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा, उस संविदा या करार से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या निमित्त की गई या किया गया है, किसी प्रकार से संपृक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह खंड (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

#### **अनु. 318. आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा और शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति:-**

संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा—

- (क) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का अवधारण कर सकेगा; और
- (ख) आयोग के कर्मचारिवृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा :

परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

## अनु. 319.आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध- पद पर न रह

### जाने पर-

- (क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (ख) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (ग) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (घ) किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;

## अनु. 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य :-

- (1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा, कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।
- (2) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं, तो उसका यह कर्तव्य होगा, कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमे बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें।
- (3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से –
  - (क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,
  - (ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर,
  - (ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं,

- (घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए,
- (ङ.) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अनिनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर, परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर, जिसे यथास्थिति, राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्देशित करे, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा :
- परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- (4) खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी, कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 16 के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाए।
- (5) राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल द्वारा खंड (3) के परंतुक के अधीन बनाए गए सभी विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान—मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम चौदह दिन के लिए रखे जाएंगे और निरसन या संशोधन द्वारा किए गए ऐसे उपांतरणों के अधीन होंगे, जो संसद् के दोनों सदन या उस राज्य के विधान—मंडल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करें जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं।

**अनु. 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति :-** यथास्थिति, संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान—मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा।

**अनु. 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय-** संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

**अनु. 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन-** राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा, कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा, कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान—मंडल के समक्ष रखवाएगा।

## अध्याय -चार

### आयोग की संरचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन दिनांक 23.05.2001 को किया गया है।

2. आयोग, संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य शासन के अधीन विभिन्न सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न विभागों में पदोन्नति के रिक्त पदों के लिए “पदोन्नति समिति” की बैठकें आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की अध्यक्षता में की जाती है तथा विभागों के भर्ती नियमों तथा अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों में राज्य शासन को परामर्श दिया जाता है।

3. आयोग में पदस्थ अध्यक्ष तथा सदस्यों के संदर्भ में विवरण निम्नवत है :—

नाम	पदनाम	कार्यकाल
श्री आर. एस. विश्वकर्मा	सदस्य	दिनांक 09.03.2015 से 12.06.2015 तक
	अध्यक्ष	दिनांक 12.06.2015 से 16.01.2017 तक
श्री के.आर. पिस्दा	अध्यक्ष	दिनांक 17.01.2017 से निरंतर
श्री शिवनारायण पाण्डेय	सदस्य	दिनांक 05.12.2014 से निरंतर
श्री मोहन लाल मंडावी	सदस्य	दिनांक 10.11.2015 से निरंतर

आयोग में निम्नानुसार अधिकारी पदस्थ रहे हैं :—

क्र.	नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण दिनांक
1	श्री हेमंत कुमार पहारे (भा.प्र.से.)	सचिव	दिनांक 11.06.2015 से निरंतर
2	श्री ए.के. अग्रवाल (रा.प्र.से.)	उप सचिव	दिनांक 25.02.2014 से 30.11.2016 तक
3	श्रीमती पुष्पा साहू (रा.प्र.से.)	उप सचिव	दिनांक 10.11.2016 से निरंतर
4	श्री ए.के. मिश्रा	परीक्षा नियंत्रक	दिनांक 11.09.2013 से निरंतर
5	श्री जे.एस. गोड़	अवर सचिव	दिनांक 25.06.2005 से निरंतर
6	श्री आर.के. ध्रुव	अवर सचिव	दिनांक 08.10.2015 से निरंतर

आयोग हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं रिक्त पदों की जानकारी “परिशिष्ट-दो” में दी गई है।

## ➤ आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था

राज्य शासन ने आयोग में 05 संवैधानिक पद (01 अध्यक्ष, 04 सदस्य) सहित कुल 157 अधिकारियों व कर्मचारियों की पद संरचना स्वीकृत किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के गठन के पश्चात् प्रतिनियुक्ति के अधिकांश पदों पर राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए। साथ ही राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु सांख्यिकी अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) का एक पद एवं विधि अधिकारी का एक पद की पूर्ति सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि में आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कुल पद संख्या 157 के विरुद्ध 97 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। अधिकांश पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं।

आयोग कार्यालय में कुल 157 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध माननीय अध्यक्ष 01, माननीय सदस्य 04 संवैधानिक पद हैं। शेष पद आयोग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वृन्द के लिए स्वीकृत हैं जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	श्रेणी	अधिकारी / कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या
1.	प्रथम श्रेणी	07	07
2.	द्वितीय श्रेणी	15	09
3.	तृतीय श्रेणी	94	53
4.	चतुर्थ श्रेणी	36	25
	<b>योग</b>	<b>152</b>	<b>94</b>

### भवन व्यवस्था -

राज्य शासन द्वारा विश्राम गृह (जल संसाधन विभाग) शंकर नगर रोड, रायपुर को आयोग कार्यालय के लिये आबंटित किया गया है। नया रायपुर राजधानी क्षेत्र में सर्वसुविधायुक्त आयोग कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सेक्टर 19 में 12145.18 वर्ग मीटर भूमि आबंटित है। आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तावित भवन का प्लान तैयार किया जाकर विभाग को प्रेषित किया गया है, निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त नया रायपुर राजधानी क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग पूल अंतर्गत निर्मित किए जा रहे शासकीय आवास गृहों में से आयोग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आवास गृह सुरक्षित रखे जाने सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र व्यवहार किया गया है।

## अध्याय - पांच

### आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन

आयोग को वर्ष 2016–17 में राज्य शासन के विभिन्न विभागों से सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त मांग—पत्रों एवं आयोग द्वारा इसके परीक्षण उपरांत जारी विज्ञापनों का विवरण निम्नानुसार है :—

<u>स.क्र.</u>	<u>पदनाम</u>	<u>विभाग का नाम</u>	<u>कुल पद</u>
1	सहायक संचालक, योजना सहायक संचालक, सर्वे	आवास एवं पर्यावरण विभाग	12 02
2	खनि निरीक्षक (खनि निरीक्षक के निःशक्तजन हेतु विशेष बैकलॉग भर्ती)	खनिज साधन विभाग	04
3	राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा—2016		107
4	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परिवहन उप निरीक्षक (तकनीकी)	परिवहन विभाग	15 20
5	व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	40
6	सहायक संचालक उद्योग / प्रबंधक	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	52
7	सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा शिक्षा)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग	180
8	राज्य सेवा परीक्षा—2016		293
9	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (निःशक्तजन हेतु विशेष बैकलॉग भर्ती)	श्रम विभाग	08
10	ग्रंथपाल क्रीड़ाधिकारी	तकनीकी शिक्षा विभाग	28 07
11	रीडर साईटिफिक ऑफिसर	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02 03
12	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	गृह विभाग	46
13	सहायक संचालक, रेशम	ग्रामोद्योग विभाग	08
<b>कुल योग</b>			<b>827</b>

## अध्याय - छः ऑनलाइन आवेदन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात नियत समय के लिए अभ्यर्थियों को एक बार के लिए त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा समस्त आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए। आमंत्रित किए गए ऑनलाइन आवेदनों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है।

सं. क्र.	परीक्षा का नाम	विज्ञापित पद	अनारक्षित	अ.पि.व	अ.जा	अ.ज.जा	कुल योग
1	सहायक संचालक, योजना सहायक संचालक, सर्वे	12 } 02 }	278	166	48	65	557
2	खनि निरीक्षक (खनि निरीक्षक के निःशक्तजन हेतु विशेष बैकलॉग भर्ती)	04	03	03	0	0	06
3	राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2016	107	10085	6070	1557	1663	19375
4	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परिवहन उप निरीक्षक (तकनीकी)	15 } 20 }	1889	1783	402	468	4542
5	व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	40	6185	695	402	332	7614
6	सहायक संचालक उद्योग / प्रबंधक	52	8962	10024	2753	3066	24805
7	सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा शिक्षा)	180	326	71	47	71	515
8	राज्य सेवा परीक्षा-2016	293	24295	32644	12296	17106	86341
9	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (निःशक्तजन हेतु विशेष बैकलॉग भर्ती)	08	02	0	02	0	04
10	ग्रंथपाल क्रीड़ाधिकारी	28 } 07 }	432	380	110	126	1048
11	रीडर-संहिता संदिग्धात रीडर-क्रिया शरीर साईटिफिक ऑफिसर-बॉटनी / फार्मकोगोनोसी साईटिफिक ऑफिसर-केमेस्ट्री साईटिफिक ऑफिसर-भा.चि.प	01 } 01 } 01 } 01 } 01 }	162	128	33	20	343
12	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	46	2106	837	427	312	3682
13	सहायक संचालक, रेशम	08	806	1140	537	979	3462
<b>कुल योग</b>		<b>827</b>	<b>55531</b>	<b>53941</b>	<b>18614</b>	<b>24208</b>	<b>152294</b>

## अध्याय - सात

### परीक्षा

#### **ऑनलाइन परीक्षा-**

राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं के मामले में जहां अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है एवं राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा तथा अन्य परीक्षाएं, जो कि विवरणात्मक (लिखित) प्रकार की होती है, को छोड़कर शेष परीक्षाएं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जाती है। वर्ष 2016–17 में आयोजित ऑनलाइन परीक्षाओं में पदों की संख्या, आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या एवं ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है—

स. क्र	परीक्षा का नाम	रिक्त पद	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	ऑन लाइन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या
1	सिविल जज (प्रवेश स्तर) परीक्षा—2015	30	7449	4182
2	सहायक प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाईन परीक्षा—2014	966	10835	3332
	मान. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार		220	194
3	सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा महाविद्यालय) परीक्षा—2014 की ऑनलाईन परीक्षा	19	435	2153
	• Asst. Professor, Biotechnology			
	• Speech Pathologist/Audiologist Grade-1			
	• PTI/Sport Officer			
	• Clinical Psychologist			
	• Child Psychologist			
	• Jr. Scientific Officer Biochemistry			
	• Speech Pathologist/Audiologist Grade-2			
	• Speech Therapist			
	• Asst. Professor, Bioinformatics			
4	सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा शिक्षा) परीक्षा—2014 की ऑनलाईन परीक्षा	63	1496	
	• Asst. Prof. Dentistry (Medical College)			
	• Sr. Resident (Medical College)			
	• Resident (Dental College)			
	• Dental Surgeon (Dental College)			

## वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

	• Demonstrator (Nursing College)			
	• Demonstrator (Physiotherapy College)			
	• Asst. Prof. (Physiotherapy College)			
5	दंत शाल्य चिकित्सक परीक्षा—2015 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) की ऑफलाइन परीक्षा	72	2100	
6	सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं व्याख्याता (पॉलीटेक्निक संस्था) परीक्षा—2015 (तकनीकी शिक्षा विभाग)	294	5778	2942
7	प्राचार्य वर्ग—2 (जनशक्ति नियोजन विभाग)	35	3853	2209
8	व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा—2016	40	7614	2937
9	सहायक संचालक योजना एवं सर्वे (आवास एवं पर्यावरण विभाग) परीक्षा—2016	14	557	241
10	सहायक क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन उपनिरीक्षक तकनीकी (परिवहन विभाग) परीक्षा—2016	35	4542	2517
योग		1568	44879	20707

### ऑफलाइन परीक्षा-

वर्ष 2016–17 में आयोजित ऑफलाइन/मैन्युवल परीक्षाओं का विवरण इस प्रकार है—

संक्र.	परीक्षा का नाम	रिक्त पद	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	ऑफ लाइन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या
1	सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं व्याख्याता (पॉलीटेक्निक संस्था) परीक्षा—2015	444	30464	16492
2	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा—2015	352	4902	4314
3	व्यवहार न्यायाधीश मुख्य परीक्षा—2015	30	310	299
4	छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा—2016	62	33793	25184
5	राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा—2016	107	19375	13511.5
6	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा—2016	293	86341	73278.5
7	सहायक संचालक उद्योग / प्रबंधक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	52	26189	18835
योग		1340	201374	151914

आयोग की वेबसाइट पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अंतिम चयनित अभ्यर्थियों एवं लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अंक एवं साक्षात्कार के अंक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

## अध्याय - आठ

### अंतिम चयन

**आयोग द्वारा 01.04.2016 से 31.03.2017 तक जारी चयन सूची एवं पदवार अनुशंसित  
अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी निम्नानुसार है:-**

क्र.	विज्ञापन क्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	पद संख्या	चयन सूची जारी होने की तिथि	मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की श्रेणीवार संख्या				मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की संख्या	चयनित आवेदकों की अनुशंसा हेतु पत्र शासन को भेजने की तिथि
						अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	विज्ञा.क्र. 01 / 2009 / परीक्षा दिनांक 15.05. 2009	उच्च शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक विधि	57	(संशोधित अंतिम चयन सूची) 13.04.2016	29	NIL	NIL	NIL	29	27-05-2016
2	विज्ञापन क्र. 13 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 17.12.2014 शुद्धि पत्र क्र. 01 / 2015 / परीक्षा दिनांक 25.04.2015 एवं शुद्धि पत्र क्र. 03 / 2015 / परीक्षा दिनांक 21.07.2015	विभिन्न विभाग	राज्य सेवा परीक्षा-2014 विभिन्न 16 पद	325	13/05/2016	128	41	99	41	309	28/05/2016 01/06/2016 02/06/2016 07/06/2016
3	विज्ञा.क्र. 11 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 08 / 12 / 2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 16 / 12 / 2015 शुद्धि पत्र क्र. 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	विशेषज्ञ चिकित्सक (आयुष विंग / थेरेपी सेंटर)	13	03/05/2016	2	4	2	2	10	12/05/2016
4	विज्ञापन क्रमांक 13 / 2015 / परीक्षा दिनांक 17.12.2015 एवं शुद्धि पत्र क्र 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015	तकनीकी शिक्षा विभाग	प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, व्याख्याता के विभिन्न पद	92	02/06/2016	40	2	3	7	52	04/06/2016
5	विज्ञापन क्रमांक 06 / 2015 / परीक्षा दिनांक 07.10.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 14 / 10 / 2015	पशुधन विकास विभाग	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ “बैकलॉग भर्ती” तथा “निःशक्तजन हेतु विशेष बैकलॉग भर्ती”	104	29/06/2016	1	26	38	4	69	13/07/2016

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

6	विज्ञा. क्र. 09 / 2015 / परीक्षा दिनांक 04.12.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 09 / 12 / 2015 एवं शुद्धि पत्र क्र 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015	पशुधन विकास विभाग	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	81	29/06/2016	35	10	26	8	79	13/07/2016
7	विज्ञा. क्र 04 / 2015 / परीक्षा दिनांक 24.07.15 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 29 / 07 / 2015	गृह (पुलिस) विभाग	वैज्ञानिक अधिकारी— भौतिकी, रसायन, जीव	22	02/07/2016	5	2	1	3	11	15/07/2016
8	विज्ञा. क्र 02 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 17.03.2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 23 / 03 / 2016	मछलीपालन विभाग	सहायक संचालक, मत्स्योद्योग	5	28/07/2016	2	1	2	NIL	5	04/08/2016
9	विज्ञा. क्र. 03 / 2015 / परीक्षा दिनांक 09.07.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 15.07.2015	तकनीकी शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता के विभिन्न पद	538	19/09/2016	192	48	45	70	355	29/09/2016
10	विज्ञा. क्र. 12 / 2015 / परीक्षा दिनांक 11.12.15	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	व्यवहार न्यायाधीश	30	30/09/2016	13	4	9	4	30	07/10/2016
11	विज्ञापन क्रमांक 13 / 2015 / परीक्षा दिनांक 17.12.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 23 / 12 / 2015 एवं शुद्धि पत्र क्र 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015	तकनीकी शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता के विभिन्न पद तथा प्रशिक्षण व स्थानन अधिकारी, सहायक कर्मशाला अधीक्षक	196	08/11/2016 15/11/2016	75	16	20	27	138	24/11/2016
12	विज्ञापन क्रमांक 03 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 30.03.2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 06 / 04 / 2016	वन विभाग	सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल	62	26/11/2016	25	8	20	9	62	01/12/2016
13	विज्ञापन क्रमांक 09 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 25 / 07 / 2014 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 30 / 07 / 2014 शुद्धि पत्र क्र. 06 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 01.08.2014 एवं शुद्धि पत्र क्र. 08 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 22.11.2014	प्रदर्शक (चिकित्सा महाविद्यालय)	प्रदर्शक, रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, जूनियर रजिस्ट्रार, सीनियर रेसीडेन्ट, जूनियर रेसीडेन्ट विभिन्न विषय	311	07/12/2016	115	15	22	15	167	14/12/2016

14	विज्ञापन क्रमांक 05 / 2016 / परीक्षा दिनांक 27.05.2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 01 / 06 / 2016	खानिज साधन विभाग	खनि निरीक्षक (निःशक्तजन बैकलॉग)	4	07/12/2016	2	NIL	NIL	2	4	07/12/2016
15	विज्ञापन क्रमांक 10 / 2015 / परीक्षा दिनांक 04.12.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 09 / 12 / 2015 एवं शुद्धि पत्र क्र. 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	दंत शल्य चिकित्सक	72	20/12/2016	28	9	22	9	68	09/01/2017
16	विज्ञापन क्रमांक 09 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 25 / 07 / 2014 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 30. 07.2014 शुद्धि पत्र क्र. 06 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 01.08.2014 एवं शुद्धि पत्र क्र. 08 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 22.11.2014	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग	प्रदर्शक विभिन्न विषय	51	23/12/2016	4	0	4	4	12	10/01/2017
17	विज्ञापन क्रमांक 05 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 17 / 04 / 2014	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग	स्पीच पैथोलॉजिस्ट / आडियोलॉजिस्ट ग्रेड—एक, पी.टी. आई./ क्रीड़ा अधिकारी, विलनिकल सायकोलॉजिस्ट, चाईल्ड सायकोलॉजिस्ट, साईटिफिक आफिसर (टॉक्सिकोलॉजी) स्पीच पैथोलॉजिस्ट / आडियोलॉजिस्ट ग्रेड—2, स्पीच थेरेपिस्ट	15	24/12/2016	8	0	1	1	10	10/01/2017
18	विज्ञापन क्रमांक 06 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 10.06.2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 15. 06.2016 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 02 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 28.06.2016	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सहायक अभियंता के विभिन्न 12 पद	107	31/12/2016	47	13	35	12	107	10/01/2017

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

19	विज्ञापन क्र. 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.11.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 02.12.2015, शुद्धि पत्र क्र. 08 / 2015 / परीक्षा दिनांक 28.12.2015 तथा सूचना क्रमांक / 433 / 13 / परीक्षा / 2016 दिनांक 06.06.2016	विभिन्न विभाग	राज्य सेवा परीक्षा—2015 विभिन्न 19 पद	352	20/01/2017	138	41	110	52	341	07/02/2017
20	विज्ञापन क्रमांक 01 / 2009 / परीक्षा / दिनांक 15.05.2009 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20 / 05 / 2009	उच्च शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक— समाजशास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी	292	संशोधित चयन सूची दिनांक 30.01.2017	17	0	0	2	19	10/02/2017 08/02/2017
21	विज्ञापन क्रमांक 13 / 2015 / परीक्षा दिनांक 17.12.2015 एवं शुद्धि पत्र क्र 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015	तकनीकी शिक्षा विभाग	व्याख्याता— मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट, कॉर्स्ट्यूम डिजाइन एवं इंस मेकिंग (पॉलीटेक्निक संस्था)	19	संशोधित चयन सूची दिनांक 01.02.2017	8	1	2	3	14	10/02/2017
22	विज्ञापन क्रमांक 01 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 14.01.2016	जनशक्ति नियोजन विभाग	प्राचार्य वर्ग—2	35	दिनांक 29.03.2017	13	4	5	5	27	10/04/2017
23	विज्ञापन क्रमांक 10 / 2016 / परीक्षा दिनांक 07 / 10 / 2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 12.10.2016	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग	सहायक प्राध्यापक विभिन्न 29 पद	174	31/03/2017	56	16	30	13	115	13/04/2017
<b>योग</b>				<b>2957</b>		<b>983</b>	<b>261</b>	<b>496</b>	<b>293</b>	<b>2033</b>	

(विवरण परिशिष्ट—तीन में दर्शित)

## अध्याय - नौ

### राज्य सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में वैश्लेषिक ऑकड़े

राज्य सेवा परीक्षा—2015 में चयनित 341 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक—समाजिक स्तर की जानकारी

राज्य सेवा परीक्षा—2015 में कुल विज्ञापित पद—352

राज्य सेवा परीक्षा—2015 में कुल चयनित अभ्यर्थियों की संख्या—341

#### **आयु समूह—**

आयु समूह	संख्या	प्रतिशत	
आयु समूह 21.25	154	45.16	84.46
आयु समूह 26.30	134	39.30	
आयु समूह 31.35	34	9.97	
आयु समूह 36.40	13	3.81	
आयु समूह 41.45	6	1.76	5.57
<b>योग</b>	<b>341</b>		

#### **ग्रामीण या शहरी परिवेश—**

क्रमांक	क्षेत्र	संख्या
1.	ग्रामीण	187
2.	शहरी	154
	<b>योग</b>	<b>341</b>

**राज्य सेवा परीक्षा—2015 में कुल चयनित 341 अभ्यर्थियों में से स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों की संख्या—63**

स्नातक स्तर पर विषयवार चयन		
विषय	चयनित	प्रतिशत
इंजिनियरिंग	138	40.47
विज्ञान	131	38.42
चिकित्सा	20	5.87
कला	35	10.26
वाणिज्य	13	3.81
कृषि	4	1.17
<b>योग चयनित</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>

## अध्याय - दस

### आयोग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग


1. आयोग द्वारा विज्ञापित प्रत्येक पद हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं। हस्तालिखित आवेदन पत्र प्रणाली पूर्णतः बंद कर दी गई है।
2. आयोग के अधिकांश परीक्षा / चयन संबंधी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रयास किया गया है।
3. विज्ञापनों में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों की वर्गवार एवं जिलेवार जानकारी के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।
4. आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या दस हजार या उससे कम होती है, उन सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन लिया जाता है।
5. आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या दस हजार से अधिक अथवा परीक्षा विवरणात्मक होती है, उन परीक्षाओं को ऑफलाइन लिया जाता है। ऑफलाइन (मैन्युवल) परीक्षाओं हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिका एवं मुख्य परीक्षा हेतु ओ.एम.आर. प्रश्न सह— उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है।
6. प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित (ऑनलाइन / ऑफलाइन) परीक्षा के बाद आयोग द्वारा आदर्श उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन दावा आपत्ति आमंत्रित की जाती है।
7. सॉफ्टवेयर के माध्यम से साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों हेतु बोर्ड का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।
8. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन प्राप्त की जाती है। अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा में अपने पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन भरने के पश्चात्, प्राप्त कम्प्यूटराईज्ड पावर्टी को साक्षात्कार के समय जांच दल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।
9. कम्प्यूटराइज्ड अंक सूची की सुविधा अभ्यर्थियों को दी जाती है।

## अध्याय - ग्यारह

### सेवा भर्ती नियम

वर्ष 2016–17 में नये भर्ती नियम बनाने/संशोधन किये जाने के संबंध में शासन के विभिन्न विभागों से कुल – 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से आयोग द्वारा 10 प्रकरणों में अभिमत/सहमति दी गई। शेष 04 प्रस्तावों में से 02 प्रस्ताव को विभाग से जानकारी के अभाव में मूलतः वापस किया गया तथा शेष 02 लंबित प्रस्ताव को अगले वर्ष अर्थात् 2017–18 के लिये आगे लाया गया। पिछले दो वर्षों में भर्ती नियम बनाने/संशोधन के मामलों में आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति (आरेख 11.1) में दर्शायी गई है। (विवरण परिशिष्ट–चार में दर्शित)

#### विभागीय भर्ती नियम/ संशोधन के प्रस्तावों पर आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों का तुलनात्मक विवरण




## अध्याय - बारह पदोन्नतियाँ

वर्ष 2016–17 में शासन के **27** विभागों के विभिन्न रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की कुल **82** बैठकें आयोजित की गई। उक्त बैठकों में कुल **2622** अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया तथा **965** अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति की अनुशंसा की गई (आरेख 12.1)।

**कुल पदोन्नति**


विचारित	2622
अनुशंसित	965



**आरेख 12.1**

आयोग में आयोजित पदोन्नति समिति की बैठकों में प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी हेतु **54**, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी हेतु **71**, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी हेतु **465**, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी हेतु **375**, अधिकारियों को आयोग द्वारा पदोन्नति हेतु अनुशंसित किया गया है। (आरेख 12.2)

अधिकारियों की सख्त्या	प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी	योग
विचारित	116	589	885	1032	2622
अनुशंसित	54	71	465	375	965



आरेख 12.2

विभागीय पदोन्नति के प्रस्तावों के निराकरण में प्रतिवेदन अवधि में सुधार हुआ है एवं शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से अधिकांश प्रकरणों में समय—सीमा के अंतर्गत ही पदोन्नति समिति की बैठकें संपन्न हुई हैं। विभागीय पदोन्नति के लिये प्रपत्र एवं चेकलिस्ट निर्धारित है, किन्तु अनेक विभागों द्वारा चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजे जाने से समिति की बैठक आयोजित करने में विलंब होता है। विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से संबंधित आवश्यक अभिलेख, प्रमाण पत्र, वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों की उपलब्धता की जानकारी आदि आयोग को प्रस्ताव के साथ ही भेजे जाने चाहिये। पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन में मुख्य बाधा वांछित गोपनीय प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता, वरिष्ठता संबंधी विवादों/अभ्यावेदनों का निराकरण नहीं हो पाने से उत्पन्न होती हैं। (पदवार पदोन्नति विवरण परिशिष्ट—पांच में दर्शित)


## अध्याय - तेरह

### अनुशासनिक मामले

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के तहत ऐसे मामलों के संबंध में, यदि कोई हो, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना है।

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3)(ग) के अंतर्गत प्राप्त हुए 65 प्रकरणों पर आयोग द्वारा विचारोपरांत अभिमत दिया गया। (विवरण परिशिष्ट—छ: में दर्शित)

विगत दो वर्षों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति (आरेख 13.1) में दर्शायी गई है।



आरेख 13.1

## अध्याय - चौदह

### वित्त

#### **वित्त:-**

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के वित्त प्रभाग के प्रमुख आयोग के सचिव होते हैं, जो राज्य शासन द्वारा पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं तथा आयोग के वित्तीय मामलों के मुख्य नियंत्रण अधिकारी होते हैं। वित्त प्रभाग आयोग का बजट तैयार करने तथा वित्तीय मामले में व्यय नियंत्रण एवं निगरानी के संबंध में आयोग को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है। आयोग के बजट एवं वित्तीय सलाहकार के लिए वित्त विभाग से उप संचालक(वित्त) की पदस्थापना राज्य शासन द्वारा की गई है, जो वित्तीय पृष्ठभूमि वाले राज्य वित्त सेवा के अधिकारी होते हैं।

#### **वर्ष 2016-17 के दौरान बजटीय स्थिति:-**

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर एक संवैधानिक संस्था है, जिसे संविधान द्वारा कठिपय महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ—साथ, राज्य शासन के अधीन राज्य प्रशासनिक स्तर के पदों पर नियुक्त हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं का संचालन शामिल है। राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर प्रभारित होता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु 16,40,98,000=00 का बजट प्रावधान किया गया था, जो मुख्यतः आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन एवं स्थापना व्यय के लिए था। परीक्षाओं का संचालन पूर्व—निर्धारित समय—सारणी के अनुसार किया जाना होता है और इसलिए व्यय एक प्रतिबद्ध दायित्व है, जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता। परीक्षा एवं चयन पर व्यय सीधे आयोग द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं एवं भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। जिसमें से रु 14,00,71,833=00 का व्यय हुआ तथा राशि रु. 2,40,26,167=00 की बचत हुई। बचत मुख्यतः वेतन मदों में हुई, जिसका कारण रिक्त पदों का होना है। बचत राशि रु. 2,40,26,167=00 का समर्पण किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए प्रावधानों तथा निधि के उपयोग के संबंध में स्थिति तालिका—1 में दी गई है :—

#### **तालिका - 1**

(रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि	व्यय का प्रतिशत (%)
2016–17	1640.00	1400.71	240.26	85.36%

(विवरण परिशिष्ट—सात में दर्शित)

## अध्याय - पंद्रह न्यायालयीन प्रकरण

प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त एवं निराकृत विधिक प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार रही :—

- पूर्व में लंबित प्रकरण (उच्च न्यायालय के **316** प्रकरण एवं उच्चतम न्यायालय के **04** प्रकरण) कुल लंबित प्रकरणों की संख्या — **320**
- दिनांक 01 / 04 / 2016 से दिनांक 31 / 03 / 2017 तक माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त प्रकरण — **150**
- कुल प्रकरणों की संख्या — **470**
- दिनांक 01 / 04 / 2016 से दिनांक 31 / 03 / 2017 तक की अवधि में निराकृत प्रकरणों की संख्या— **77**

<b>(i)</b>	उच्च न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण	—	<b>73</b>
<b>(ii)</b>	उच्चतम न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण	—	<b>04</b>
- दिनांक 31 / 03 / 2017 को माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या —**393**
- निराकृत प्रकरणों का विवरण —

<b>—</b>	<b>कुल निराकृत प्रकरण</b>	<b>—</b>	<b>77</b>
<b>—</b>	आयोग के पक्ष में निराकृत	<b>—</b>	<b>70</b>
<b>—</b>	आयोग के विरुद्ध निराकृत	<b>—</b>	<b>07</b>

## अध्याय - सोलह

### सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रकरणों के निराकरण की जानकारी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जनसूचना अधिकारी (सामान्य), जनसूचना अधिकारी (परीक्षा) एवं अपीलीय अधिकारी की विशिष्टियां एवं उनको प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	जनसूचना/अपीलीय अधिकारी	दूरभाष क्रमांक
1	श्रीमती पुष्पा साहू	उप सचिव	अपीलीय अधिकारी	0771—2331204
2	श्री जे.एस. गोंड़	अवर सचिव	जनसूचना अधिकारी (सामान्य)	0771—2331204
3	श्री जे.एस. नायक	उप परीक्षा नियंत्रक	जन सूचना अधिकारी (परीक्षा)	0771—2331204

#### सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त आवेदनों के निराकरण का विवरण :-

शाखा	विगत वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग कॉलम (2+3)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
जनसूचना अधिकारी (सामान्य)	—	65	65	48	17	65	—
जनसूचना अधिकारी (परीक्षा)	—	660	660	655	05	660	—
योग	—	725	725	703	22	725	—

#### प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा निराकृत किये गये अपीलों का विवरण:-

विगत वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त अपील प्रकरण की संख्या	योग	स्वीकृत अपीलों की संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	कुल निराकृत अपील	वर्ष के अंत में शेष अपीलों की संख्या
01	146	147	12	122	134	13

### वेबसाइट पर सूचना का अधिकार-2005 के अंतर्गत जानकारी देना-

1. आयोग तथा छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी के स्व-सक्रिय प्रगटीकरण की व्यवस्था की गई है।
2. प्रत्येक माह परीक्षा अनुभाग, सामान्य अनुभाग एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या, पूर्व माह के लंबित आवेदनों की संख्या, उस माह में कुल निराकृत आवेदनों की संख्या तथा लंबित आवेदनों की संख्या का विवरण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर जानकारी सार्वजनिक की जाती है।

## अध्याय - सत्रह

### प्रस्तावित कार्य योजना

कम्प्यूटरीकृत प्रक्रियाओं के विकास के द्वारा आयोग के कार्यों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने तथा गति लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। जिस पर शासन स्तर पर कार्यवाही प्रगति पर है। प्रस्ताव अनुसार पदों की स्वीकृति के साथ ही निम्न महात्वाकांक्षी प्रक्रियाएं आयोग द्वारा प्रारंभ की जा सकेंगी—

- 1. आधार बेस्ड वन टाईम रजिस्ट्रेशन -** आयोग के द्वारा राज्य संवर्ग के पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाती है, जिसमें प्रत्येक भर्ती की कार्यवाही के दौरान पात्रता के आधार पर अलग—अलग आवेदन पत्र तथा शुल्क जमा करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को सरल करने तथा प्रतिभागी छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधार बेस्ड वन टाईम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत अभ्यर्थियों को आयोग के वेबसाईट में एक बार आधार बेस्ड पंजीयन कराना होगा तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताओं की जानकारी देनी होगी। बाद में जब भी किसी पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जावेगा, तो अभ्यर्थी को पृथक से आवेदन पत्र भरने की जरूरत नहीं होगी। केवल आधार बेस्ड इच्छा व्यक्त करनी होगी, शेष जानकारी उसके पंजीयन प्रोफाइल से प्राप्त कर ली जाएगी। इससे अभ्यर्थियों को बार—बार आवेदन—पत्र भरने से छूट मिलेगी और आयोग के पास उम्मीदवार की पूरी प्रोफाइल उपलब्ध रहेगी।
- ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिकाओं की स्केनिंग तथा मूल्यांकन कार्य हेतु आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाना-** वर्तमान में ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिकाओं की स्केनिंग तथा मूल्यांकन कार्य हेतु सेवा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से कार्य करवाया जाता है। आउटसोर्सिंग को समाप्त कर आयोग के व्यय को कम करने के साथ ही उक्त संवेदनशील प्रक्रिया में बाहरी व्यक्तियों के शामिल होने से गोपनीयता तथा कार्य की सूचिता दुष्प्रभावित होने को रोका जा सकेगा।
- विभागीय पदोन्नति/जांच, भर्ती नियम के अनुमोदन व मांग पत्र प्रेषित करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना-** आयोग की स्थापना के समय से ही आयोग द्वारा समय—समय पर विभागीय पदोन्नति / जांच, भर्ती नियम के अनुमोदन व मांग—पत्र प्राप्त के लिए आवश्यक जानकारी की सूची व प्रारूप संशोधित कर विभागों को उपलब्ध कराए जाते रहे हैं, जिससे उक्त प्रक्रिया द्रुत गति से संपन्न हो सके। प्रायः यह देखा गया है कि विभागों द्वारा अधूरी एवं निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में पदोन्नति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो अपूर्ण होने से कार्यवाही योग्य नहीं होती तथा उसे

पूरा करने के लिए विभाग से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी होती है, जिससे पदोन्नति की कार्यवाही में अनावश्यक विलंब होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पदोन्नति हेतु निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार सम्पूर्ण जानकारी के साथ ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त करने की व्यवस्था निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें विभागों से एक ही बार में पदोन्नति के लिए आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे पदोन्नति की कार्यवाही में तेजी आएगी।

4. **आयोग कार्यालय को पेपरलेस किया जाना-** आयोग द्वारा कार्यालय में मौजुदा नस्तियों के संचालन की व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाकर बहुतायत परीक्षाओं में परीक्षा संबंधी आवेदनों की प्रविष्टि तथा परीक्षाओं को ऑनलाईन आयोजित किया जा रहा है। बदलते परिवेश के साथ—साथ हमारी कार्यशैली को भी बदलने की आवश्यकता है। आधुनिक तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करके, कार्यालयीन व्यवस्था को तीव्रगामी बनाने के उद्देश्य से फाइल संधारण की व्यवस्था को ऑनलाईन (ई—फाइलिंग) करने की भी योजना है, ताकि कार्यालय को यथासंभव पेपरलेश किया जा सके।

## अध्याय - अठारह

### कृतज्ञता ज्ञापन

किसी भी विभाग या संस्था के लिए आवश्यक होता है कि वह जिस निमित्त बना है उन उद्देश्यों को वो किसी भी परिस्थिति में पूर्ण करें, तभी उसकी सार्थकता कही जा सकती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता से संबंधित समस्त सेवाओं का निष्पादन लोकसेवकों के माध्यम से किया जाता है। इन लोक सेवकों के चयन की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए संविधान द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।

लोक सेवा आयोग अपने सालभर के क्रियाकलापों तथा उपलब्धियों के साथ-साथ आगामी कार्ययोजनाओं को भी वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करता है। वार्षिक प्रतिवेदन किसी भी संस्था का दर्पण होता है, जिसमें उस संस्था का वास्तविक प्रतिबिम्ब प्रतिबिंबित होता है।

वर्ष 2016–17 में आयोग द्वारा संपादित कार्यों का समग्र प्रस्तुतिकरण वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग के कार्यों में सभी विभागों के साथ-साथ लोक सेवा आयोग के अधिकारी / कर्मचारियों का महती योगदान रहा; जिनके सहयोग से यह कार्य संपादित किया जा सका।

दिनांक – 17.10.2017



चन्द्रकांत उड्ढुक  
सचिव  
छ.ग. लोक सेवा आयोग

## परिशिष्ट - एक

### आयोग के पदाधिकारियों का जीवन वृत्तान्त

श्री रामस्वरूप विश्वकर्मा	अध्यक्ष
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	12 / 06 / 2015
जन्मतिथि	17 जनवरी, 1955
शिक्षा	एम0ए0 (भूगोल) गोल्ड मेडलिस्ट—1976 सागर विश्वविद्यालय, सागर, मध्यप्रदेश (वर्तमान में सर हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित)
सेवा विवरण / पदस्थापना	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सहायक प्राध्यापक, सागर विश्वविद्यालय, सागर, मध्यप्रदेश</li> <li>● परिवीक्षाधीन लेखा अधिकारी, राज्य वित्त सेवा मध्यप्रदेश</li> <li>● जिला कोषालय एवं स्थापना अधिकारी, भिन्ड, मध्यप्रदेश</li> <li>● वित्त अधिकारी, जनशक्ति नियोजन विभाग, मध्यप्रदेश</li> <li>● अवर सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन</li> <li>● उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन</li> <li>● उप सचिव, विमानन, पर्यटन, संस्कृति, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, मध्यप्रदेश</li> <li>● संचालक, विमानन, मध्यप्रदेश</li> <li>● भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.) 1991 बैच</li> <li>● विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह अपर कलेक्टर, जबलपुर म.प्र.</li> <li>● नगर निगम आयुक्त, जबलपुर म.प्र.</li> <li>● छत्तीसगढ़ राज्य गठन पश्चात् नवम्बर, 2000</li> <li>● संयुक्त सचिव वित्त एव संचालक, छत्तीसगढ़ शासन</li> <li>● कलेक्टर, जिला कोरबा (छ.ग.)</li> <li>● संचालक, संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़ शासन</li> <li>● कलेक्टर, जशपुर (छ.ग.)</li> <li>● कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रबंध संचालक, राज्य विपणन संघ, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं राज्य गृह भण्डारण निगम, रायपुर (छ.ग.)</li> <li>● कलेक्टर, राजनांदगांव (छ.ग.)</li> <li>● विकास आयुक्त, बस्तर (छ.ग.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सचिव सह आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन</li> <li>● आयुक्त, बस्तर (छ.ग.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन</li> <li>● प्रबंध संचालक, राज्य खनिज विकास निगम, रायपुर (छ.ग.)</li> <li>● आयुक्त एवं सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, छ.ग. शासन</li> <li>● सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन</li> <li>● सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग. शासन</li> <li>● आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर (छ.ग.)</li> <li>● सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी / पंजीयन), रायपुर (छ.ग.)</li> <li>● आयुक्त, आबकारी, छत्तीसगढ़</li> <li>● प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन, रायपुर छ.ग.</li> <li>● सचिव, विमानन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन</li> </ul>
सेवानिवृत्त (दि. 31/01/2015)	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी / पंजीयन), विमानन, पदेन प्र. सचिव वित्त, आयुक्त वाणिज्यिक कर आबकारी एवं प्रबंध संचालक ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन, रायपुर (छ.ग.)

<b>श्री कृष्णाराम पिस्दा</b>	<b>अध्यक्ष</b>
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	17 / 01 / 2017
जन्मतिथि	02.06.1958
शिक्षा	एम0ए0 (अर्थशास्त्र), पी.एच.डी. (नक्सलवाद तथा आदिवासी क्षेत्र के आर्थिक स्थिति पर प्रभाव—दंतेवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)
सेवा विवरण / पदस्थापना	<p><b>राज्य प्रशासनिक सेवा (1982 बैच):—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>अनुविभागीय अधिकारी, छिंदवाड़ा, सौसर (जिला छिंदवाड़ा) होशंगाबाद, पिपरिया (जिला होशंगाबाद), खरसिया, घरघोड़ा (जिला रायगढ़)</li> <li>अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)</li> <li>परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रायसेन (म.प्र.)</li> <li>अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा (म.प्र.)</li> <li>उपायुक्त (राजस्व), जबलपुर (म.प्र.)</li> <li>मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)</li> </ol> <p><b>भारतीय प्रशासनिक सेवा (1996 बैच)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा</li> <li>कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर</li> <li>संचालक, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ रायपुर</li> <li>आयुक्त, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़ रायपुर</li> <li>मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर</li> <li>मिशन संचालक, माध्यमिक शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर</li> <li>आयुक्त, भू— अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर</li> <li>सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,</li> <li>सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामाज्य प्रशासन विभाग</li> <li>सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन शिकायत निवारण विभाग,</li> <li>सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग</li> </ol>
सेवा निवृत्ति की तिथि	16 जनवरी 2017

<b>श्री शिव नारायण पाण्डेय</b>	: सदस्य
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	: 05.12.2014
जन्म तिथि	: 01.01.1962
शिक्षा	: बी.एस.सी., एल.एल.बी.
सेवा विवरण / पदस्थापना	<ul style="list-style-type: none"> <li>● स्टेट बार कॉसिल ऑफ छ.ग. में दस वर्षों तक सदस्य।</li> <li>● बार कॉसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति का दो वर्ष सदस्य।</li> <li>● विगत 28 वर्ष विधि सलाहकार अधिवक्ता।</li> <li>● जिला सहकारी बैंक बस्तर जगदलपुर में 05 वर्षों तक उपाध्यक्ष के पद पर (वर्ष 2008 से 2012 तक)</li> </ul>

<b>श्री मोहन लाल मण्डावी</b>	: सदस्य
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	: 10 / 11 / 2015
जन्मतिथि	: 01 / 05 / 1957
शिक्षा	: एम.ए. इतिहास
सेवा विवरण / पदस्थापना –	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सदस्य, राज्य शिक्षा आयोग छ.ग.</li> </ul>

## परिशिष्ट - दो

### आयोग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी (दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में)

क्र.	पद का नाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड – पे	पद संख्या		
				स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
1.	माननीय अध्यक्ष	80,000	-	1	1	-
2.	माननीय सदस्य	67,000-79000	-	4	2	2
3.	सचिव	37,400-67,000	8,700	1	1	-
4.	विधिक सलाहकार	70,290-1,540-76,450	-	1	1	-
5.	उप सचिव	15,600-39,100	7,600	1	1	-
6.	परीक्षा नियंत्रक	15,600-39,100	6,600	1	1	-
7.	अवर सचिव	15,600-39,100	6,600	2	2	-
8.	उप संचालक (वित्त)	15,600-39,100	6,600	1	1	-
9.	अपर परीक्षा नियंत्रक	15,600-39,100	5,400	1	1	-
10.	विधि अधिकारी	15,600-39,100	5,400	1	-	1
11.	प्रोग्रामर	15,600-39,100	5,400	2	2	-
12.	सांख्यिकी अधिकारी	15,600-39,100	5,400	1	-	1
13.	उप परीक्षा नियंत्रक	9,300-34,800	4,400	1	1	-
14.	अनुभाग अधिकारी	9,300-34,800	4,400	7	4	3
15.	निज सचिव	9,300-34,800	4,400	2	1	1
16.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	9,300-34,800	4,300	1	1	-
17.	सहायक प्रोग्रामर	9,300-34,800	4,300	1	1	-
18.	शीघ्रलेखक / निज सहायक	9,300-34,800	4,300	3	1	2
19.	सहायक ग्रेड-1	9,300-34,800	4,300	16	1	15
20.	ग्रंथपाल	9,300-34,800	4,200	1	-	1
21.	स्टोर कीपर	9,300-34,800	4,200	1	-	1
22.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	5,200-20,200	2,800	5	1	4
23.	सहायक ग्रेड-2	5,200-20,200	2,400	16	16	-
24.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5,200-20,200	2,400	4	4	-
25.	स्टेनोटायपिस्ट	5,200-20,200	1,900	3	3	-
26.	सहायक ग्रेड-3	5,200-20,200	1,900	32	17	15
27.	वाहन चालक	5,200-20,200	1,900	8	6	2
28.	वाहन चालक (अस्थायी)	5,200-20,200	1,900	2	2	-

29.	दफतरी	4,750-7,440	1,400	3	3	-
30.	जमादार	4,750-7,440	1,400	1	1	-
31.	डाक रनर	4,750-7,440	1,300	2	-	2
32.	भृत्य	4,750-7,440	1,300	16	10	6
33.	फर्राश	4,750-7,440	1,300	2	1	1
34.	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	-	-	1	1	-
35.	भृत्य (कलेक्टर दर)	-	-	8	6	2
36.	माली (कलेक्टर दर)	-	-	2	1	1
37.	सफाई कर्मचारी (कलेक्टर दर)	-	-	2	2	-
<b>योग</b>				<b>157</b>	<b>97</b>	<b>60</b>

नोट— (1) श्री अजीत सिंह (2) श्री नरेन्द्र चन्द्राकर का वेतन आहरण वाहन चालक के स्वीकृत रिक्त 02 अस्थाई पदों विरुद्ध किया जा रहा है।

## परिशिष्ट - तीन

### अंतिम चयन

**आयोग द्वारा 01.04.2016 से 31.03.2017 तक जारी चयन एवं पदवार  
अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी निम्नानुसार है:-**

क्र.	विज्ञापन क्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	पद संख्या	चयन सूची जारी होने की तिथि	मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की संख्या	चयनित आवेदकों की अनुशंसा हेतु पत्र शासन को भेजने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विज्ञा.क्र. 01 / 2009 / परीक्षा दिनांक 15.05.2009	उच्च शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक विधि	57	(संशोधित अंतिम चयन सूची) 13-04-2016	29	27-05-2016
2	विज्ञापन क्र. 13 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 17.12.2014 शुद्धि पत्र क्र. 01 / 2015 / परीक्षा दिनांक 25.04.2015 एवं शुद्धि पत्र क्र. 03 / 2015 / परीक्षा दिनांक 21.07.2015 राज्य सेवा परीक्षा-2014	सामान्य प्रशासन विभाग	राज्य सिविल सेवा उप जिलाध्यक्ष	21	13/05/2016	21	28/05/2016
		गृह (पुलिस) विभाग	राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक	2	13/05/2016	2	01/06/2016
		वित्त विभाग	राज्य लेखा सेवा लेखा अधिकारी	12	13/05/2016	12	01/06/2016
		वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	जिला आबकारी अधिकारी	5	13/05/2016	5	01/06/2016
		वाणिज्यिक कर विभाग	वाणिज्यिक कर अधिकारी	8	13/05/2016	8	01/06/2016
		वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	जिला पंजीयक	1	13/05/2016	1	02/06/2016
		खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सहायक संचालक / खाद्य अधिकारी	7	13/05/2016	7	02/06/2016
		समाज कल्याण विभाग	सहायक संचालक	4	13/05/2016	4	02/06/2016
		सहकारिता विभाग	सहायक पंजीयक	4	13/05/2016	4	02/06/2016
		वित्त विभाग	छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	57	13/05/2016	54	02/06/2016
		महिला एवं बाल विकास विभाग	बाल विकास परियोजना अधिकारी	5	13/05/2016	5	07/06/2016

		राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	अधीनस्थ सिविल सेवा नायब तहसीलदार	149	13/05/2016	136	07/06/2016
		वाणिज्यिक कर विभाग	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	10	13/05/2016	10	07/06/2016
		वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	आबकारी उप निरीक्षक	15	13/05/2016	15	07/06/2016
		वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	उप पंजीयक	9	13/05/2016	9	07/06/2016
		सहकारिता विभाग	सहकारिता निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी	16	13/05/2016	16	07/06/2016
3	विज्ञा.क्र. 11 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 08 / 12 / 2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 16 / 12 / 2015 शुद्धि पत्र क्र. 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	विशेषज्ञ चिकित्सक (आयुष विंग / थेरेपी सेंटर)	13	03/05/2016	10	12/05/2016
4	विज्ञापन क्रमांक 13 / 2015 / परीक्षा दिनांक 17.12.2015 एवं शुद्धि पत्र क्र 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015	तकनीकी शिक्षा विभाग	01. प्राध्यापक सिविल (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	1	02/06/2016	1	04/06/2016
			02. प्राध्यापक मेकेनिकल (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	1	02/06/2016	1	04/06/2016
			03. प्राध्यापक इलेक्ट्रिकल (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	1	02/06/2016	1	04/06/2016
			04. प्राध्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	1	02/06/2016	1	04/06/2016
			07. प्राध्यापक गणित (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	1	02/06/2016	1	04/06/2016
			08. प्राध्यापक भौतिकी (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	1	02/06/2016	1	04/06/2016
			09. प्राध्यापक रसायन (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	1	02/06/2016	1	04/06/2016

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

		01. सह प्राध्यापक सिविल (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	3	02/06/2016	1	04/06/2016
		02. सह प्राध्यापक मैकेनिकल (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	1	02/06/2016	1	04/06/2016
		03. सह प्राध्यापक इलेक्ट्रिकल (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	1	02/06/2016	1	04/06/2016
		04. सह प्राध्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	3	02/06/2016	1	04/06/2016
		07. सह प्राध्यापक सूचना प्रौद्योगिकी (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	2	02/06/2016	निरंक	04/06/2016
		08. सह प्राध्यापक गणित (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	2	02/06/2016	1	04/06/2016
		09. सह प्राध्यापक भौतिकी (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	2	02/06/2016	1	04/06/2016
		10. सह प्राध्यापक रसायन (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	2	02/06/2016	1	04/06/2016
		01. विभागाध्यक्ष सिविल (पॉलीटेक्निक संस्था)	8	02/06/2016	4	04/06/2016
		02. विभागाध्यक्ष मैकेनिकल (पॉलीटेक्निक संस्था)	9	02/06/2016	6	04/06/2016
		03. विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रिकल (पॉलीटेक्निक संस्था)	8	02/06/2016	4	04/06/2016
		04. विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन (पॉलीटेक्निक संस्था)	8	02/06/2016	3	04/06/2016
		05. विभागाध्यक्ष माइनिंग (पॉलीटेक्निक संस्था)	1	02/06/2016	1	04/06/2016

			06. विभागाध्यक्ष सूचना प्रौद्योगिकी (पॉलीटेक्निक संस्था)	2	02/06/2016	1	04/06/2016
			07. विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साईंस (पॉलीटेक्निक संस्था)	4	02/06/2016	2	04/06/2016
			08. विभागाध्यक्ष मेटलर्जी (पॉलीटेक्निक संस्था)	2	02/06/2016	1	04/06/2016
			09. विभागाध्यक्ष माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (पॉलीटेक्निक संस्था)	1	02/06/2016	1	04/06/2016
			10. विभागाध्यक्ष कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग (पॉलीटेक्निक संस्था)	1	02/06/2016	1	04/06/2016
			01. व्याख्याता आर्किटेक्चर (पॉलीटेक्निक संस्था)	4	02/06/2016	4	04/06/2016
			06. व्याख्याता माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (पॉलीटेक्निक संस्था)	11	02/06/2016	5	04/06/2016
			07. व्याख्याता इंटीरियर डिजाइन एवं डेकोरेशन (पॉलीटेक्निक संस्था)	2	02/06/2016	1	04/06/2016
			09. व्याख्याता कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग (पॉलीटेक्निक संस्था)	8	02/06/2016	4	04/06/2016
5	विज्ञापन क्रमांक 06 / 2015 / परीक्षा दिनांक 07.10.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 14 / 10 / 2015	पशुधन विकास विभाग	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ “बैकलॉग भर्ती”	90	29/06/2016	67	13/07/2016
			पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ “निःशक्तजन हेतु विशेष बैकलॉग भर्ती”	14	29/06/2016	2	13/07/2016

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

6	विज्ञापन क्रमांक 09 / 2015 / परीक्षा दिनांक 04.12.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 09 / 12 / 2015 एवं शुद्धि पत्र क्र 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015	पशुधन विकास विभाग	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	81	29/06/2016	79	13/07/2016
7	विज्ञापन क्रमांक 04 / 2015 / परीक्षा दिनांक 24.07.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 29 / 07 / 2015	गृह (पुलिस) विभाग	वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी)	7	02/07/2016	1	15/07/2016
			वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन)	8	02/07/2016	5	15/07/2016
			वैज्ञानिक अधिकारी (जीव)	7	02/07/2016	5	15/07/2016
8	विज्ञापन क्रमांक 02 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 17.03.2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 23 / 03 / 2016	मछलीपालन विभाग	सहायक संचालक, मत्स्योद्योग	5	28/07/2016	5	04/08/2016
9	विज्ञापन क्र. 03 / 2015 / परीक्षा दिनांक 09.07.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 15.07.2015	तकनीकी शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक—सिविल (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	18	19/09/2016	12	29/09/2016
			सहायक प्राध्यापक—इलेक्ट्रि कल (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	12		3	29/09/2016
			सहायक प्राध्यापक— इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	18		13	29/09/2016
			सहायक प्राध्यापक—सूचना प्रौद्योगिकी (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	12		निरंक	29/09/2016
			सहायक प्राध्यापक—मेकेनिक ल (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	23		21	29/09/2016
			सहायक प्राध्यापक— माइनिंग (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	11		2	29/09/2016
			व्याख्याता—सिविल (पॉलीटेक्निक संस्था)	83		58	29/09/2016

			व्याख्याता— कम्प्यूटर साईंस (पॉलीटेक्निक संस्था)	52		36	29/09/2016
			व्याख्याता— इलेक्ट्रिकल (पॉलीटेक्निक संस्था)	89		48	29/09/2016
			व्याख्याता— इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन (पॉलीटेक्निक संस्था)	68		54	29/09/2016
			व्याख्याता—सूचना प्रौद्योगिकी (पॉलीटेक्निक संस्था)	21		10	29/09/2016
			व्याख्याता—मेकेनिकल (पॉलीटेक्निक संस्था)	89		71	29/09/2016
			व्याख्याता—मेटलर्जी (पॉलीटेक्निक संस्था)	23		19	29/09/2016
			व्याख्याता—माइनिंग (पॉलीटेक्निक संस्था)	12		8	29/09/2016
			व्याख्याता— इंस्ट्रूमेंटेशन (पॉलीटेक्निक संस्था)	5		निरंक	29/09/2016
			व्याख्याता—कैमिकल (पॉलीटेक्निक संस्था)	2		निरंक	29/09/2016
10	विज्ञापन क्रमांक 12 / 2015 / परीक्षा दिनांक 11.12.2015	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	व्यवहार न्यायाधीश	30	30/09/2016	30	07/10/2016
11	विज्ञापन क्रमांक 13 / 2015 / परीक्षा दिनांक 17.12.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 23 / 12 / 2015 एवं शुद्धि पत्र क्र 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015	तकनीकी शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	8	08/11/2016	2	24/11/2016
			सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	6	08/11/2016	5	24/11/2016
			सहायक प्राध्यापक भौतिकी (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	9	08/11/2016	6	24/11/2016
			सहायक प्राध्यापक गणित (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	11	08/11/2016	9	24/11/2016
			व्याख्याता अंग्रेजी (पॉलीटेक्निक संस्था)	29	08/11/2016	21	24/11/2016

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

		तकनीकी शिक्षा विभाग	व्याख्याता भौतिकी (पॉलीटेक्निक संस्था)	29	08/11/2016	17	24/11/2016
			व्याख्याता गणित (पॉलीटेक्निक संस्था)	30	08/11/2016	14	24/11/2016
			व्याख्याता फार्मेसी (पॉलीटेक्निक संस्था)	5	08/11/2016	4	24/11/2016
			प्रशिक्षण व स्थानन अधिकारी	3	08/11/2016	1	24/11/2016
			सहायक प्राध्यापक रसायन (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	9	15/11/2016	9	24/11/2016
			व्याख्याता रसायन (पॉलीटेक्निक संस्था)	31	15/11/2016	31	24/11/2016
12	विज्ञापन क्रमांक 03 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 30.03.2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 06 / 04 / 2016	वन विभाग	सहायक वन संरक्षक	16	26/11/2016	16	01/12/2016
			वन क्षेत्रपाल	46		46	01/12/2016
13	विज्ञापन क्रमांक 09 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 25 / 07 / 2014 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 30 / 07 / 2014 शुद्धि पत्र क्र. 06 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 01.08.2014 एवं शुद्धि पत्र क्र. 08 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 22.11.2014	प्रदर्शक (चिकित्सा महाविद्यालय)	ANATOMY	15	07/12/2016	12	14/12/2016
			PHYSIOLOGY	14		13	14/12/2016
			BIOCHEMISTRY	8		7	14/12/2016
			PHARMACOLOGY	14		13	14/12/2016
			PATHOLOGY	19		12	14/12/2016
			MICROBIOLOGY	8		7	14/12/2016
			FORENSIC MEDICINE	9		5	14/12/2016
			P.S.M	15		11	14/12/2016
			MEDICINE	1		1	14/12/2016
			T.B. and CHEST	1		1	14/12/2016
			DERMATOLOGY, VENEREOLOGY AND LEPROSY	1		1	14/12/2016
			PSYCHIATRY	1		1	14/12/2016
			PAEDIATRICS	1		1	14/12/2016
			SURGERY	1		1	14/12/2016
			ANAESTHESIOLOGY	2		1	14/12/2016
			ORTHOPAEDICS	1		1	14/12/2016
			OPHTHALMOLOGY	1		1	14/12/2016
			E.N.T	1		1	14/12/2016
			OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY	1		1	14/12/2016
			RADIODIAGNOSIS	1		1	14/12/2016
			RADIOThERAPY	2		2	14/12/2016

		रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्यालय)	MEDICINE	<b>4</b>		2	14/12/2016
			T.B. and CHEST	<b>1</b>		1	14/12/2016
			PSYCHIATRY	<b>6</b>		3	14/12/2016
			PAEDIATRICS	<b>5</b>		3	14/12/2016
			SURGERY	<b>4</b>		2	14/12/2016
			ORTHOPAEDICS	<b>6</b>		3	14/12/2016
			E.N.T.	<b>3</b>		1	14/12/2016
			OBSTETRICS and GYNAECOLOGY	<b>3</b>		2	14/12/2016
			ANAESTHESIOLOGY	<b>5</b>		2	14/12/2016
			RADIODIAGNOSIS	<b>6</b>		3	14/12/2016
			RADIODIAGNOSIS	<b>6</b>		1	14/12/2016
			URO SURGERY	<b>6</b>		1	14/12/2016
			THORACIC SURGERY	<b>2</b>		1	14/12/2016
		सीनियर रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्या)	DERMATOLOGY, VENEREOLOGY and LEPROSY	<b>1</b>		1	14/12/2016
			SURGERY	<b>7</b>		निरंक	14/12/2016
			ORTHOPAEDICS	<b>4</b>		1	14/12/2016
			OBSTETRICS and GYNAECOLOGY	<b>1</b>		1	14/12/2016
			RADIODIAGNOSIS	<b>5</b>		निरंक	14/12/2016
		जूनियर रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्या.)	PSYCHIATRY	<b>6</b>		4	14/12/2016
			NEUROSURGERY	<b>6</b>		निरंक	14/12/2016
		सीनियर रेसीडेन्ट (चिकित्सा महाविद्या.)	MEDICINE	<b>4</b>		1	14/12/2016
			T.B. and CHEST	<b>1</b>		निरंक	14/12/2016
			DERMATOLOGY, VENEREOLGY and LEPROSY	<b>1</b>		1	14/12/2016
			PSYCHIATRY	<b>1</b>		1	14/12/2016
			PAEDIATRICS	<b>2</b>		1	14/12/2016
			SURGERY	<b>7</b>		1	14/12/2016
			ORTHOPAEDICS	<b>2</b>		1	14/12/2016
			OPHTHALMOLOGY	<b>1</b>		1	14/12/2016
			E.N.T.	<b>1</b>		1	14/12/2016
			OBSTETRICS and GYNAECOLOGY	<b>1</b>		1	14/12/2016
			ANAESTHESIOLOGY	<b>6</b>		2	14/12/2016
			RADIODIAGNOSIS	<b>3</b>		1	14/12/2016
			RADIODIAGNOSIS	<b>1</b>		निरंक	14/12/2016
			NEPHROLOGY	<b>4</b>		निरंक	14/12/2016
			THORACIC SURGERY	<b>2</b>		निरंक	14/12/2016

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

		जूनियर रेसीडेन्ट (चिकित्सा महाविद्या.)	MEDICINE	<b>16</b>		8	14/12/2016
			T.B. and CHEST	<b>2</b>		1	14/12/2016
			DERMATOLOGY, VENEREOLOGY and LEPROSY	<b>2</b>		2	14/12/2016
			PSYCHIATRY	<b>2</b>		1	14/12/2016
			PAEDIATRICS	<b>8</b>		2	14/12/2016
			SURGERY	<b>7</b>		1	14/12/2016
			ORTHOPAEDICS	<b>8</b>		1	14/12/2016
			OPHTHALMOLOG Y	<b>4</b>		3	14/12/2016
			E.N.T.	<b>4</b>		2	14/12/2016
			OBSTETRICS and GYNAECOLOGY	<b>10</b>		4	14/12/2016
			ANAESTHESIOLO GY	<b>3</b>		1	14/12/2016
			RADIODIAGNOSIS	<b>2</b>		2	14/12/2016
			THORACIC SURGERY	<b>2</b>		1	14/12/2016
<b>14</b>	विज्ञापन क्रमांक 05 / 2016 / परीक्षा दिनांक 27.05.2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 01 / 06 / 2016	खनिज साधन विभाग	खनि निरीक्षक (नि:शक्तजन बैकलॉग)	4	07/12/2016	4	07/12/2016
<b>15</b>	विज्ञापन क्रमांक 10 / 2015 / परीक्षा दिनांक 04.12.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 09 / 12 / 2015 एवं शुद्धि पत्र क्र. 08 / 2015 / परीक्षा/ दिनांक 28.12.2015	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	दंत शल्य चिकित्सक	72	20/12/2016	68	09/01/2017
<b>16</b>	विज्ञापन क्रमांक 09 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 25 / 07 / 2014 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 30. 07.2014 शुद्धि पत्र क्र. 06 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 01.08.2014 एवं शुद्धि पत्र क्र. 08 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 22.11.2014	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग	प्रदर्शक—मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग (नर्सिंग महाविद्यालय)	13	23/12/2016	4	10/01/2017
			प्रदर्शक— पिडियाट्रिक नर्सिंग (नर्सिंग महाविद्यालय)	8		2	

			प्रदर्शक— साइक्रिएट्रिक नर्सिंग (नर्सिंग महाविद्यालय)	8		3	
			प्रदर्शक— कम्पूनिटी हेल्थ नर्सिंग (नर्सिंग महाविद्यालय)	8		1	
			प्रदर्शक— आब्सट्रिक्स एण्ड गायनेकोलॉजी नर्सिंग नर्सिंग(नर्सिंग महाविद्यालय)	14		2	
17	विज्ञापन क्रमांक 05 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 17 / 04 / 2014	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग	स्पीच पैथोलॉजिस्ट / आडियोलॉजिस्ट ग्रेड—एक	2	24/12/2016	1	10/01/2017
			पी.टी.आई. / क्रीडा अधिकारी	4		4	
			विलनिकल सायकोलॉजिस्ट	1		1	
			चाईल्ड सायकोलॉजिस्ट	2		1	
			साईंटिफिक ऑफिसर (टॉक्सिकोलॉजी)	2		1	
			स्पीच पैथोलॉजिस्ट / आडियोलॉजिस्ट ग्रेड—दो	2		1	
			स्पीच थेरेपिस्ट	2		1	
18	विज्ञापन क्रमांक 06 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 10.06.2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 15.06.2016 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 02 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 28.06.2016	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सहायक अभियंता (सिविल)	27	31/12/2016	27	10/01/2017
		सामान्य प्रशासन विभाग	सहायक अभियंता (सिविल)	1		1	
		लोक निर्माण विभाग	सहायक अभियंता (सिविल)	26		26	
		जल संसाधन विभाग	सहायक अभियंता (सिविल) निःशक्तजन वैकल्पिक	2		2	

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

		नगरीय प्रशासन विभाग	सहायक अभियंता (सिविल)	8	31/12/2016	8	-
		लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सहायक अभियंता (वि. / या.)	8		8	
		लोक निर्माण विभाग	सहायक अभियंता (वि. / या.)	11		11	
		जल संसाधन विभाग	सहायक अभियंता (वि. / या.)	11		11	
		नगरीय प्रशासन विभाग	सहायक अभियंता (मेकेनिकल)	2		2	
		नगरीय प्रशासन विभाग	सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल)	2		2	
		ऊर्जा विभाग	सहायक अभियंता (वि.सु) / सहायक विद्युत निरीक्षक	4		4	
		कृषि विभाग	सहायक कृषि अभियंता	5		5	
19	विज्ञापन क्र. 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.11.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 02.12.2015, शुद्धि पत्र क्र. 08 / 2015 / परीक्षा दिनांक 28.12.2015 तथा सूचना क्रमांक / 433 / 13 / परीक्षा / 2016 दिनांक 06.06.2016 राज्य सेवा परीक्षा—2015	सामान्य प्रशासन विभाग	राज्य सिविल सेवा उप जिलाध्यक्ष	10	20/01/2017	10	07/02/2017
		गृह (पुलिस) विभाग	राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक	18		18	07/02/2017
		वित एवं योजना विभाग	राज्य लेखा सेवा लेखा अधिकारी	25		25	07/02/2017
		स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग	सहायक संचालक	1		1	07/02/2017
		कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	रोजगार अधिकारी	3		3	07/02/2017
		वाणिज्यिक कर विभाग	वाणिज्यिक कर अधिकारी	4		4	07/02/2017
		गृह (ज़ेल) विभाग	अधीक्षक, जिला ज़ेल	3		3	07/02/2017
		सहकारी संस्थाएं सहकारिता विभाग	सहायक पंजीयक,	3		3	07/02/2017
		गृह विभाग	जिला सेनानी	2		2	07/02/2017
		पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सहायक परियोजना अधिकारी	41		41	07/02/2017
		वित्त एवं योजना विभाग	छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	58		55	07/02/2017
		महिला एवं बाल विकास विभाग	बाल विकास परियोजना अधिकारी	21		21	07/02/2017

		राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	अधीनस्थ सिविल सेवा नायब तहसीलदार	45		43	07/02/2017
		राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	31		29	07/02/2017
		वाणिज्यिक कर विभाग	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	32		30	07/02/2017
		वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	आबकारी उप निरीक्षक	13		11	07/02/2017
		वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	उप पंजीयक	1		1	07/02/2017
		सहकारिता विभाग	सहकारिता निरीक्षक	21		21	07/02/2017
		गृह (जेल) विभाग	सहायक जेल अधीक्षक	20		20	07/02/2017
20	विज्ञापन क्रमांक 01 / 2009 / परीक्षा / दिनांक 15.05.2009 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20 / 05 / 2009	उच्च शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र	5	संशोधित चयन सूची दिनांक 30.01.2017	1	10/02/2017
			सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र	87	संशोधित चयन सूची दिनांक 30.01.2017	6	08/02/2017
			सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र	86	संशोधित चयन सूची दिनांक 30.01.2017	1	10/02/2017
			सहायक प्राध्यापक भूगोल	14	संशोधित चयन सूची दिनांक 30.01.2017	3	10/02/2017
			सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र	39	संशोधित चयन सूची दिनांक 30.01.2017	2	10/02/2017
			सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी	61	संशोधित चयन सूची दिनांक 30.01.2017	6	10/02/2017
21	विज्ञापन क्रमांक 13 / 2015 / परीक्षा दिनांक 17.12.2015 एवं शुद्धि पत्र क्र 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015	तकनीकी शिक्षा विभाग	व्याख्याता—माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (पॉलीटेक्निक संस्था)	11	संशोधित चयन सूची दिनांक 01.02.2017	8	10/02/2017
			व्याख्याता—कॉस्ट्यू डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग (पॉलीटेक्निक संस्था	8	संशोधित चयन सूची दिनांक 01.02.2017	6	10/02/2017

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

22	विज्ञापन क्रमांक 01 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 14.01.2016	जनशक्ति नियोजन विभाग	प्राचार्य वर्ग-2	35	दिनांक 29.03. 2017	27	10/04/2017
23	विज्ञापन क्रमांक 10 / 2016 / परीक्षा दिनांक 07 / 10 / 2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 12. 10.2016 <b>सहायक प्राध्यापक</b>	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग	एनॉटॉमी	6	31/03/2017	6	13/04/2017
			फिजियोलॉजी	6		3	
			बायोकेमिस्ट्री	3		1	
			फार्माकोलॉजी	4		2	
			पैथोलॉजी	9		9	
			माइक्रोबायोलॉजी	5		4	
			पी.एस.एम. (कम्यूनिटी मेडिसीन)	11		10	
			फोरेंसिक मेडिसीन	2		1	
			मेडिसीन	16		13	
			सर्जरी	18		11	
			प्रसुति एवं स्त्रीरोग	16		13	
			शिशुरोग	9		8	
			टी.बी. एण्ड चेस्ट	3		3	
			मनोरोग	3		2	
			चर्म एवं रतिज रोग	3		2	
			अस्थिरोग	10		7	
			एनेस्थेसियोलॉजी	10		5	
			रेडियोडायग्नोसिस	8		2	
			रेडियोथेरेपी	9		2	
			मेडिकल फिजिक्स	2		NIL	
			ई.एन.टी.	4		2	
			नेत्ररोग	6		6	
			थोरेसिक सर्जरी	4		2	
			न्यूरो सर्जरी	1		NIL	
			पिडियाट्रिक सर्जरी	1		1	
			प्लारिटिक सर्जरी	1		NIL	
			मेडिकल ऑनकोलॉजी	1		NIL	
			सर्जिकल ऑनकोलॉजी	1		NIL	
			कार्डियोलॉजी	2		NIL	
	<b>योग</b>			<b>2957</b>		<b>2033</b>	

**परिशिष्ट - चार**  
**विभागीय भर्ती नियम में आयोग का अभिमत दिये जाने का विवरण**  
**01.04.2016 से 31.03.2017**

स. क्र.	विभाग का नाम	विषय	अभिमत/सहमति देने का दिनांक
1	3	4	6
01	कृषि विभाग	छ.ग. उद्यानिकी राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2013 में संशोधन बाबत्।	क्रमांक 223 / 10 / 2012 / जीएस दिनांक 07.05.2016
02	चिकित्सा शिक्षा विभाग	छ.ग. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 के अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 31 (क) के कंडिका 2 एवं 4 में नर्सिंग महाविद्यालय में प्रस्तावित संशोधन पर सहमति बाबत्।	क्रमांक 338 / 156 / 2012 / जीएस दिनांक 17.05.2016
03	ग्रामोद्योग विभाग	लिपिकीय संवर्ग हेतु स्वीकृत पद संरचना को पुनर्रक्षित करने एवं पदोन्नति का नियुक्तियुक्त अवसर प्रदान करने बाबत्। (संचालनालय रेशम प्रभाग के राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2010 के अनुसूची-एक, दो एवं चार में सहायक संचालक प्रशासनिक का एक पद जोड़े जाने के संशोधन प्रस्तुत)	क्रमांक 1427 / 36 / 2016 / जीएस दिनांक 06.10.2016
04	सहकारिता विभाग	छ.ग. सहकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2015 में प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव पर सहमति बाबत्।	क्रमांक 5046 / 173 / 2013 / जीएस दिनांक 29.03.2017
05	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	छ.ग. खेल एवं युवा कल्याण राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1988 के स्थान पर सेवा भर्ती नियम 2015 के अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार में संयुक्त संचालक, सहायक संचालक का पद जोड़े जाने के प्रस्तावित संशोधन पर आयोग की सहमति बाबत्।	क्रमांक 742 / 12 / 2016 / जीएस दिनांक 02.07.2016
06	सामान्य प्रशासन विभाग	छ.ग. प्रशासन अकादमी राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2015 के अनुसूची- एक एवं दो में संयुक्त संचालक लेखा को विलोपित कर संयुक्त संचालक प्रशिक्षण का पद जोड़े जाने के संशोधन पर सहमति बाबत्।	क्रमांक 1627 / 68 / 2016 / जीएस दिनांक 04.11.2016
07	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग इंजीनियरिंग महाविद्यालय) राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2014 के अनुसूची-तीन, चार पर प्रस्तावित संशोधन पर सहमति बाबत्।	क्रमांक 4078 / 105 / 2016 / जीएस दिनांक 04.01.2017
08	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग पॉलीटेक्निक महाविद्यालय) राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2014 के अनुसूची-तीन, चार पर प्रस्तावित संशोधन पर सहमति बाबत्।	क्रमांक 4077 / 106 / 2016 / जीएस दिनांक 04.01.2017
09	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	छ.ग. पंचायत राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2016 बनाये जाने के संशोधन पर सहमति बाबत्।	क्रमांक 4099 / 72 / 2016 / जीएस दिनांक 06.01.2016
10	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	छ.ग. लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2014 के अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 11, 12 एवं 13 में समयमान वेतनमान प्रवृट्ट करने के संशोधन पर सहमति बाबत्।	क्रमांक 4494 / 55 / 2016 / जीएस दिनांक 25.01.2017

## परिशिष्ट - पांच

### विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव जिन पर आयोग की सहमति दी गई दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

स.क्र.	विषय / पद का नाम	विचारक्षेत्र में लिये गये अधिकारियों की संख्या	चयनित अधिकारियों की संख्या
<b>योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग</b>			
1	संयुक्त संचालक से अपर संचालक के पद पर पदोन्नति।	3	1
<b>खनिज साधन विभाग</b>			
2	वेधन यांत्रिकी से सहायक संचालक (वेधन) के पद पर पदोन्नति।	2	1
<b>खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</b>			
3	सहायक संचालक / खाद्य अधिकारी से उप संचालक / खाद्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	12	7
<b>ऊर्जा विभाग</b>			
4	मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति।	3	3
5	उप अभियंता से सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर पदोन्नति।	10	2
<b>कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग</b>			
6	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से सहायक संचालक उद्यान के पद पर पदोन्नति।	4	1
7	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सहायक संचालक कृषि के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक।	1	1
8	अधीक्षक से सहायक संचालक उद्यान के पद पर पदोन्नति।	1	1
<b>कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग</b>			
9	शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत व्याख्याता मैकेनिकल से विभागाध्यक्ष मैकेनिकल के पद पर पदोन्नति।	5	3
10	शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत व्याख्याता कैमिकल से विभागाध्यक्ष कैमिकल के पद पर पदोन्नति।	1	1
11	शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत व्याख्याता इलेक्ट्रिकल से विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रिकल के पद पर पदोन्नति।	4	0
12	शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत व्याख्याता आईडीडी से विभागाध्यक्ष आईडीडी के पद पर पदोन्नति।	1	0
13	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी से रोजगार अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	1	1

14	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य लिपिक से रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति।	4	4
15	सह प्राध्यापक (मेकेनिकल) से प्राध्यापक (मेकेनिकल) के पद पर पदोन्नति।	4	1
16	सह प्राध्यापक (रसायन) से प्राध्यापक (रसायन) के पद पर पदोन्नति।	1	0
17	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी से रोजगार अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	1	1

#### मछलीपालन विभाग

18	सहायक संचालक से उप संचालक मछलीपालन के पद पर पदोन्नति।	7	1
19	उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति।	6	1

#### वित्त विभाग

20	छ.ग. अधीनस्थ लेखा संवर्ग से राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर पदोन्नति।	65	51
----	--	----	----

#### चिकित्सा शिक्षा विभाग

21	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कार्यरत सह प्राध्यापक आर्थोडोन्टिक्स को प्राध्यापक आर्थोटोन्टिक्स के पद पर पदोन्नति।	1	1
22	संचालक—सह—प्राध्यापक से अधिष्ठाता के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 27.05.2015 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू बैठक।	9	6

#### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

23	सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति।	2	2
24	उप अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 17.09.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के परिप्रेक्ष्य में रिव्यू डीपीसी।	137	17

#### परिवहन विभाग

25	परिवहन निरीक्षक से सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	3	2
----	--	---	---

#### पशुधन विकास विभाग

26	पशुधन विभाग में डेयरी सेवा के सहायक दुग्ध आयुक्त से उप दुग्ध आयुक्त के पद पर पदोन्नति।	3	3
27	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ से उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदोन्नति।	40	4
28	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें से संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदोन्नति।	10	3
29	B.V.Sc. & A. H. स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित संवर्ग पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर पदोन्नति।	1	1
30	डेयरी सेवा के पारी प्रबंधक से सहायक दुग्धायुक्त के पद पर पदोन्नति।	4	3

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

31	संयुक्त संचालक से अपर संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदोन्नति।	1	1
<b>स्कूल शिक्षा विभाग</b>			
32	व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य उ.मा.वि. संवर्ग में पदोन्नति।	795	427
<b>सहकारिता विभाग</b>			
33	अंकेक्षण अधिकारी से सहायक पंजीयक के पद पर पदोन्नति।	17	12
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>			
34	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति।	5	5
35	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत सहायक नर्सिंग अधीक्षक से उप नर्सिंग अधीक्षक के पद पर पदोन्नति।	5	5
36	जिला आयुर्वेद अधिकारी से उप संचालक (आयुर्वेद) के पद पर पदोन्नति।	10	3
37	सिस्टर ट्यूटर एवं पब्लिक हेल्थ ट्यूटर से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति।	48	24
38	व्याख्याता काय चिकित्सा से रीडर काय चिकित्सा के पद पर पदोन्नति।	4	1
39	व्याख्याता रचना शरीर से रीडर रचना शरीर के पद पर पदोन्नति।	1	1
40	व्याख्याता पंचकर्म से रीडर पंचकर्म के पद पर पदोन्नति।	1	1
41	रीडर रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना से प्रोफेसर रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के पद पर पदोन्नति।	1	1
42	रीडर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान से प्रोफेसर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पद पर पदोन्नति।	1	1
43	व्याख्याता प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग से रीडर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के पद पर पदोन्नति।	1	1
44	व्याख्याता संहिता सिद्धांत से रीडर संहिता सिद्धांत के पद पर पदोन्नति।	1	1
45	व्याख्याता रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना से रीडर रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के पद पर पदोन्नति।	2	1
46	व्याख्याता कौमार भृत्य से रीडर कौमार भृत्य के पद पर पदोन्नति।	1	1
47	सह प्राध्यापक प्रोस्थोडोंटिक्स से प्राध्यापक प्रोस्थोडोंटिक्स के पद पर पदोन्नति।	1	1
48	जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी विशेषज्ञ से उप संचालक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	31	15
<b>उच्च शिक्षा विभाग</b>			
49	सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति।	476	26
50	उप कुल सचिव से कुल सचिव के पद पर पदोन्नति।	1	1

छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग				
51	सहायक ग्रेड-1 से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	1	1	
वाणिज्यिक कर विभाग				
52	आबकारी उप निरीक्षक से सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	22	16	
53	सहायक जिला आबकारी अधिकारी से जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	26	7	
54	जिला आबकारी अधिकारी से सहायक आयुक्त आबकारी के पद पर पदोन्नति।	13	3	
55	सहायक आयुक्त आबकारी से उपायुक्त आबकारी के पद पर पदोन्नति।	4	1	
56	सहायक प्रोग्रामर से प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति।	4	4	
57	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर ग्रेड पे 8700 से अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर ग्रेड पे 8900 के पद पर पदोन्नति।	1	1	
58	वाणिज्यिक कर अधिकारी से सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर के पद पर पदोन्नति।	8	3	
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग				
59	उप संचालक/महाप्रबंधक से संयुक्त संचालक/ मुख्य महाप्रबंधक उद्योग के पद पर पदोन्नति।	12	5	
60	सहायक प्रबंधक से सहायक संचालक/प्रबंधक उद्योग के पद पर पदोन्नति।	1	1	
61	सहायक संचालक/प्रबंधक से उप संचालक/महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति।	13	11	
62	सहायक प्रबंधक से सहायक संचालक/प्रबंधक उद्योग के पद पर पदोन्नति।	36	22	
वन विभाग				
63	वनक्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति।	47	19	
64	उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति।	128	60	
जल संसाधन				
65	मंत्री परिषद/वित्त विभाग से स्वीकृत सहायक अभियंता सिविल से कार्यपालन अभियंता सिविल के 86 सांख्येत्तर पदों की पदोन्नति/सहमति।	2	2	
66	भू-भौमिकी सहायक से सहायक भू-जल विद् के पद पर पदोन्नति।	2	1	
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग				
67	उप अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति।	72	16	
68	अधीक्षक से सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति।	1	1	
69	मुख्य नगर पालिका अधिकारी "ग" श्रेणी के पद पर पदोन्नति।	52	16	
70	मुख्य नगर पालिका अधिकारी "ख" श्रेणी के पद पर पदोन्नति।	13	8	
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग				
71	सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता के पद पर पदोन्नति।	1	1	

## वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

72	सहायक अनुसंधान अधिकारी/सहायक नियोजन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	20	4
<b>आवास एवं पर्यावरण विभाग</b>			
73	वरिष्ठ योजना सहायक से सहायक संचालक (योजना) के पद पर पदोन्नति।	1	1
74	उप अभियंता से सहायक संचालक (सर्वे) के पद पर पदोन्नति।	3	2
<b>गृह विभाग</b>			
75	रक्षित निरीक्षक/निरीक्षक/कंपनी कमाण्डर/ निरीक्षक रेडियो/निरीक्षक क्यूडी./निरीक्षक अ.चि./निरीक्षक एम संवर्ग से उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति।	192	65
76	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में पदस्थ प्रयोगशाला तकनीशियन (अराजपत्रित) से वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	5	3
77	संयुक्त संचालक से अतिरिक्त संचालक, लोक अभियोजन के पद पर पदोन्नति।	1	1
78	उप संचालक से संयुक्त संचालक लोक अभियोजन के पद पर पदोन्नति।	3	2
79	सहायक जेल अधीक्षक से उप जेल अधीक्षक के पद पर पदोन्नति।	27	6
<b>ग्रामोद्योग</b>			
80	अधीक्षक से सहायक संचालक प्रशासनिक के पद पर पदोन्नति।	1	1
<b>लोक निर्माण विभाग</b>			
81	सहायक प्रोग्रामर से प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति।	1	1
82	उप अभियंता (सिविल) से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति।	160	28
	<b>योग</b>	<b>2622</b>	<b>965</b>

## परिशिष्ट - छ:

### विभगीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील प्रकरणों का विवरण (दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

क्र.	नस्ती क्रमांक	आयोग में प्राप्ति दिनांक	विभाग का नाम	विषय	प्रस्तावित दण्ड जिसमें आयोग की सहमति/असहमति/परामर्श दिया गया है।	आयोग का अभियंता दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
01	118/2015/GS	10/03/2016	जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव में पदस्थ श्री एस. के. सहारे, कार्यपालन अभियंता, श्री आर. एस. राठौर अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री जे. के. जैन उपयंत्री के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत श्री एस. के. सहारे, कार्यपालन अभियंता, श्री आर. एस. राठौर अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध उनकी एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	05/04/2016	
02	09/2016/GS	21/04/2016	लोक निर्माण विभाग	कोरमी हरदीकला से महावीर तालाब पहुंच मार्ग लंबाई 3.40 कि.मी. का उन्नयन एवं डामरीकरण कार्य (अनुबंध क्र. 12/डी.एल./2013–14)	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत श्री आर. के.खाम्बरा, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता एवं श्री एस.के.सतपथी, अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर सहमति दी जाती है, तथा श्री प्रवीण कुमार शुक्ला, उप अभियंता तृतीय श्रेणी अधिकारी है जो कि आयोग की परिधि में नहीं आता। अतः इनके विरुद्ध विभाग कार्यवाही करें।	10/05/2016
03	104/2015/GS	11/04/2016	लोक निर्माण विभाग	त्रिसूली-कुन्दरू-तालकेश्वरपुर मार्ग में पांगन नदी पर निर्मित पुल के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में।	आयोग द्वारा प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि (1) श्री एस.एल.मरकाम, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता की 3 वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकते हुए उनके वेतन से रूपये 3 लाख की वसूली करने, (2) श्री व्ही.के.बेदिया, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एवं (3) श्री एम.एल.सिंह, तत्कालीन उपअभियंता को उनके वेतनमान के निम्नतम स्तर पर छ: वर्षों के लिए अवनत करते हुए, संबंधित अपचारी लोक सेवक के वेतन से 3-3 लाख रूपये की वसूली किए जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	16/05/2016

## वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

04	08/2016/GS	21/04/2016	लोक निर्माण विभाग	लोक आयोग प्रकरण कमांक 209 / 2003 विरुद्ध प्रभु किंडो।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत पाया गया कि प्रकरण में नियुक्त जाचंकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग को प्रेषित जांच प्रतिवेदन में श्री प्रभु किंडो, सहायक अभियंता (तत्का. अनुविभागीय अधिकारी) के ऊपर अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाए गये। परंतु प्रकरण में कार्य की माप में पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए श्री प्रभु किंडो को "परिनिन्दा की शास्ति" के दण्ड से दण्डित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	17/05/2016
05	124/2015/GS	23/03/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री के.डी. बनौंधे, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जशपुर के विरुद्ध दण्डादेश की स्वीकृति बाबत्।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री के.डी. बनौंधे, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जशपुर संभाग, जिला जशपुर के विरुद्ध विभागीय प्रस्ताव क्षति राशि का 15 प्रतिशत शासकीय खाते में प्रति माह रु. 29,330 (उनतीस हजार तीन सौ तीस रुपये) के हिसाब से 04 किश्तों में वेतन से वसूली किये जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	23/05/2016
06	18/2016/GS	16/05/2016	लोक निर्माण विभाग	विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या—45 (क्र. 1235) दिनांक 22.12.2014, अतारांकित प्रश्न संख्या—10 (क्र.—659) दिनांक 11.03.2015 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या—26 (क्र.—2410) दिनांक 25.03.2015 के उत्तर में भिन्नता के संबंध में।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री बी. के.पटोरिया, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग राजनांदगांव के विरुद्ध उनकी "एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने" के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	27/05/2016
07	19/2016/GS	16/05/2016	लोक निर्माण विभाग	विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1109) दिनांक 24.07.2015 के गलत उत्तर के संबंध में— सदस्य माननीय डॉ. विमल चौपड़ा।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्रीमती अर्पणा (मेराम) चौरपगार, सहायक अभियंता (सिविल) प्रभारी कार्यपालन अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिक्षेत्र रायपुर की "एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने" के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	27/05/2016
08	20/2016/GS	16/05/2016	पशुधन विकास विभाग	अभियोजन स्वीकृति— डॉ. राजेंद्र प्रसाद नायक, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पिथौरा, जिला महासमुंद।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नायक, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पिथौरा, जिला महासमुंद को न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)	27/05/2016

					नियम, 1966 के नियम-10 (9) के तहत “सेवा से पदच्युत (Dismissal)” किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	
09	92/2015/GS	05/05/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री के.डी.बनौधे, तत्का. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यात्रिकी सेवा संभाग, अंबिकापुर क्रमांक -01, जिला सरगुजा के विरुद्ध दण्डादेश के अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत्।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री के.डी.बनौधे की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2016 होने से पूर्व में प्रस्तावित दण्ड (02 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति) के स्थान पर श्री बनौधे को पदावनत किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	28/05/2016
10	03/2016/GS	18/05/2016	उच्च शिक्षा विभाग	अनाधिकृत अनुपस्थिति डॉ. श्रीमती अनिला शर्मा, सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शा.वि.भू. देव कन्या महाविद्यालय, जशपुर की सेवा समाप्त किये जाने की सहमति हेतु।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी डॉ. श्रीमती अनिला शर्मा, सहायक प्राध्यापक, (भूगोल) शा.वि.भू. देव कन्या महाविद्यालय, जशपुर की लगभग 10 वर्षों से अनुपस्थिति होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-10(नौ) “सेवा से पदच्युत किया जाना जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी” के तहत उन्हें “सेवा से बर्खास्त” किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती हैं।	02/06/2016
11	25/2016/GS	25/05/2016	वन विभाग	अनुशासनिक कार्यवाही श्री कमलेश मण्डावी वनक्षेत्रपाल के विरुद्ध।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत श्री कमलेश मण्डावी वनक्षेत्रपाल के विरुद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 में निहित प्रावधान के अंतर्गत शासन को हुई आर्थिक हानि रूपये 6,14,404/- का 30 प्रतिशत राशि की वसूली उनके प्राप्त वेतन/देयक स्वत्वों से किये जाने एवं उनकी एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	04/06/2016
12	11/2016/GS	27/04/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री एल.एस.सक्सेना, सहायक अभियंता (निलंबित) को सेवा से पदच्युत किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर अभिमत बाबत्।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एल.एस.सक्सेना, सहायक अभियंता (निलंबित) को “सेवा से पदच्युत (Dismissal)” किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	16/06/2016

## वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

13	79/2015/GS	17/05/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	परि.क्रिया.ई. क्रमांक-2 जगदलपुर के कार्य क्षेत्रांतर्गत लंबित अंतिम देयकों के निराकरण में लापरवाही बाबत्।	प्रकरण में आयोग में समुचित विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री आर. बी. ध्रुव सहायक अभियंता छ.ग. ग्रा.सा.वि. अभि. परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक 02 जगदलपुर जिला बस्तर की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाये तथा उनकी निलंबन अवधि को सेवा अवधि मानी जायेगी, किंतु श्री आर. बी. ध्रुव को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा।	09/06/2016
14	37/2016/GS	04/06/2016	लोक निर्माण विभाग	अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में—श्री ए.के.चौरसिया, सहायक अभियंता।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री ए.के.चौरसिया, सहायक अभियंता (सिविल) लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियंता की “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव” से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	17/06/2016
15	32/2016/GS	01/06/2016	लोक निर्माण विभाग	कारण बताओ सूचना पत्र— श्री आर.के.वर्मा, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री आशीष कुमार नागपुरे, उपअभियंता, लोनिवि।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री आर. के.वर्मा, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी की “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	17/06/2016
16	38/2016/GS	04/06/2016	जल संसाधन विभाग	प्रारंभिक जांच क्रमांक 05 / 11 विरुद्ध कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, श्री खेमप्रकाश राठौर, तत्का. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर, श्री अजय कुमार सोमावार, तत्का. कार्यपालन अभियंता, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-2 एवं श्री आलोक कुमार अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, खारंग जलाशय जल संसाधन विभाग बिलासपुर के विरुद्ध “परिनिन्दा” की शास्ति अधिरोपित करने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत श्री सुरेश कुमार पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1 रायपुर, श्री एस.के.पाठक, कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिस्नेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, श्री खेमप्रकाश राठौर, तत्का. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर, श्री अजय कुमार सोमावार, तत्का. कार्यपालन अभियंता, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-2 एवं श्री आलोक कुमार अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, खारंग जलाशय जल संसाधन विभाग बिलासपुर के विरुद्ध “परिनिन्दा” की शास्ति अधिरोपित करने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	17/06/2016
17	123/2015/GS	22/03/2016	स्कूल शिक्षा विभाग	विभागीय जांच — श्री आर. पी.मिरे तत्का. विकासखंड शिक्षा अधिकारी / प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर जिला—कोरिया।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत श्री आर.पी.मिरे के विरुद्ध प्रमाणित आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं, उन्होंने अपनी पत्नि एवं 12 अन्य अभ्यर्थियों को निर्धारित डी.एड. योग्यता नहीं होने के बाद भी शिक्षाकर्मी वर्ग 03 में नियुक्त किया है तथा कलेक्टर	29/06/2016

					कोरिया के आदेश दिनांक 21.10.2008 का भी पालन नहीं किया है। अतः अपचारी अधिकारी श्री आर.पी.मिरे, तत्का. विकासखंड शिक्षा अधिकारी/प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर जिला कोरिया की एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जायें तथा निलंबन अवधि को सेवा अवधि मानी जायें, किंतु श्री आर.पी.मिरे को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा, के निर्णय पर सहमति दी जाती है।	
18	45/2016/GS	21/06/2016	गृह पुलिस विभाग	विभागीय जांच – श्री जनीराम ध्रुव, तत्का. निरीक्षक थाना प्रभारी सिमगा जिला-बलौदाबाजार हाल—सेवानिवृत्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बीचा के विरुद्ध विभागीय जांच में अंतिम निर्णय बाबत्।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत श्री जनीराम ध्रुव, तत्का. निरीक्षक थाना प्रभारी सिमगा, जिला-बलौदाबाजार, हाल सेवानिवृत्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप क्रमांक 01 पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के अंतर्गत श्री जनीराम ध्रुव की पेशन में से 10 प्रतिशत राशि 02 वर्ष के लिए रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर सहमति दी जाती है।	04/07/2016
19	41/2016/GS	09/06/2016	गृह पुलिस विभाग	श्री जयदेव कोसले, तत्का. एसडीओपी, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया हाल उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय रायपुर के विरुद्ध विभागीय जांच के अंतिम निराकरण बाबत्।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री जयदेव कोसले, तत्का. एसडीओपी, मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया के विरुद्ध लगाए गए समर्त आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (सात) के अंतर्गत “अनिवार्य सेवानिवृत्ति” के दंड पर लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर सहमति दी गई।	05/07/2016
20	35/2016/GS	02/06/2016	जल संसाधन विभाग	कर्णनाला बैराज जिला—कबीरधाम में सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्यों की जांच बाबत्। (श्री एस.एल. मारवाड़ी, सं.नि.तत्का. कार्यपालन अभियंता एवं श्री मनीष बनवारी, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (वि.यां.) के विरुद्ध)	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरात छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम-9 के तहत श्री एस.एल.मारवाड़ी (सं.नि.) तत्का. कार्यपालन अभियंता को उनके देय पेंशन में से 05 प्रतिशत राशि 01 वर्ष की अवधि तक वसूली किये जाने एवं श्री मनीष बनवारी, अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से” रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/07/2016
21	33/2016/GS	01/06/2016	गृह जल विभाग	अपील प्रकरण – श्री टी.आर.पटेल, जेल अधीक्षक, जिला जेल दंतेवाड़ा।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरात अपचारी अधिकारी श्री टी.आर.पटेल, जेल अधीक्षक, जिला जेल दंतेवाड़ा के विरुद्ध उनकी आगामी 01 वर्ष की वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव	05/07/2016

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

					से रोके जाने के दंड के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-320 (3) (ग) में निहित प्रावधानों के तहत लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	
22	10/2016/GS	09/06/2016	उच्च शिक्षा विभाग	डॉ. ए.के.जायसवाल, प्राचार्य शासकीय बृजलाल वर्मा, महाविद्यालय पलारी जिला—बलौदाबाजार की 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के संबंध में सहमति हेतु।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत डॉ. ए.के.जायसवाल, प्राचार्य शासकीय बृजलाल वर्मा, महाविद्यालय पलारी जिला बलौदाबाजार के विरुद्ध उनके “02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से” रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/07/2016
23	96/2015/GS	24/06/2016	जल संसाधन विभाग	विभागीय जांच —श्री आर. के.वैष्णव, तत्का. सहायक अभियंता।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत श्री आर.के.वैष्णव, तत्का. सहायक अभियंता (वर्तमान में छ.ग. राज्य के अधीन कार्यरत) की सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक 31.07.2016 होने के कारण उनके विरुद्ध 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका जाना संभव नहीं हैं अतः प्रकरण में श्री आर.के.वैष्णव, तत्का. सहायक अभियंता से शासन को हुई हानि “क्षति की राशि रूपये 1,18,987/- (एक लाख अठारह हजार नौ सौ सत्यासी) में से 10 प्रतिशत राशि 05 वर्ष के लिए उनके पेंशन से रोके जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/07/2016
24	46/2016/GS	22/06/2016	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध श्री एस.एल.राजन, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटघोरा, कोरबा के द्वारा शासकीय राशि का गबन/अनियमितता की गयी, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है। अतः उनके द्वारा की गयी शासकीय राशि का गबन/अनियमितता से शासकीय क्षति राशि की वसूली किया जावें साथ ही उनकी आगामी दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोका जावें।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एस.एल.राजन, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटघोरा, कोरबा के द्वारा शासकीय राशि का गबन/अनियमितता की गयी, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है। अतः उनके द्वारा की गयी शासकीय राशि का गबन/अनियमितता से शासकीय क्षति राशि की वसूली किया जावें साथ ही उनकी आगामी दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोका जावें।	05/07/2016
25	43/2016/GS	14/06/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	विभागीय जांच श्री बी. एल. केंवट, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रायपुर	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री बी. एल. केंवट अधीक्षण अभियंता के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत “ परिनिन्दा की शास्ति” अधिरोपित किए जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	12/07/2016

26	50/2016/GS	29/06/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री सी. के. येरेवार, कार्यपालन अभियंता, परि. कि. ई. छ.ग. ग्रा.स.वि.अ. जिला बस्तर दंतेवाड़ा के विरुद्ध दण्डादेश के अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत्।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री सी. के. येरेवार, कार्यपालन अभियंता, परि. कि. ई. छ.ग. ग्रा.स.वि.अ. जिला बस्तर दंतेवाड़ा के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत शास्ति “ 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से ” अधिरोपित किए जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	14/07/2016
27	158/2013/GS	30/06/2016	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	प्रकरण क्रमांक 09 / 2002 में पारित आदेश डॉ. आर. एन. नेताम, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी चूंकि अनुसूचित जनजाति संवर्ग से हैं इस कारण शासन द्वारा तीन वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	15/07/2016
28	60/2016/GS	21/07/2016	सामान्य प्रशासन विभाग	श्री के. के. बेहार, रा.प्र.से. तत्कालीन सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री के.के. बेहार, (रा.प्र.से.), तत्कालीन सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति किये गये लापरवाही के फलस्वरूप उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत “परिनिन्दा की लघु शास्ति” अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	28/07/2016
29	04/2016/GS	06/04/2016	लोक निर्माण विभाग	रायगढ़ जिला चिकित्सालय में 16 नग डॉक्टर्स क्वार्टर में बिना कार्य के एडवांस माप दर्ज कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाकर लाखों रुपये का भ्रष्टाचार करने संबंधी।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री बी.पी.अग्रवाल, सहायक अभियंता (सिविल) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति लापरवाही किए जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किए जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	28/07/2016
30	66/2016/GS	04/08/2016	स्कूल शिक्षा विभाग	श्री जे. आर. डहरिया निलंबित विकासखंड शिक्षा अधिकारी सारगढ़ जिला रायगढ़ के विरुद्ध विभागीय जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही।	प्रकरण पर समग्र रूप से परीक्षण एवं विचार किया गया। विभाग द्वारा अपचारी अधिकारी श्री जे.आर.डहरिया, निलंबित तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सारगढ़, जिला—रायगढ़ की एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	22/08/2016

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

31	24/2015/GS	20/07/2016	जल संसाधन विभाग	<p>कूट रचना करते हुये फर्जी माप दर्ज कर शासकीय राशि रु. 64,31,373/- का अनुचित आहरण करने पर अपराध दर्ज कराने बाबत। (विभागीय जांच— श्री मधुकर कुम्हारे, कार्यपालन अभियंता एवं श्री आर.के. स्वर्णकार, अनुविभागीय अधिकारी)</p>	<p>प्रकरण पर आयोग के निर्णय अनुसार अपचारी अधिकारी श्री मधुकर कुम्हारे, कार्यपालन अभियंता एवं श्री आर.के. स्वर्णकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कूट रचना करते हुये फर्जी माप दर्ज कर शासकीय राशि रूपये 64,31,373/- का अनुचित आहरण किया गया। अतः अपचारी अधिकारियों के द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति की होने के कारण उनके विरुद्ध एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से” रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय के स्थान पर “दो-दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से” रोके जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।</p>	30/08/2016
32	22/2015/GS	08/08/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	<p>विभागीय जांच— श्री उत्तम कुमार तुरकाने, अधीनस्थ लेखा संवर्ग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, राजनांदगांव।</p>	<p>प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री उत्तम कुमार तुरकाने, तत्का. संभागीय लेखा सेवा संवर्ग, राजनांदगांव, वर्तमान में सहायक कोषालय अधिकारी, जिला –कोषालय, महासमुंद के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता किए जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध “तीन वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किए जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।</p>	30/08/2016
33	69/2016/GS	11/08/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	<p>श्री पी.आर.मतलाम, सहायक अभियंता का दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की अनंतिम शास्ति को अंतिम शास्ति मानते हुए लिए गये प्रशासकीय निर्णय पर अभिमत / सहमति बाबत।</p>	<p>आयोग द्वारा प्रकरण पर समुचित विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि –प्रकरण में अपचारी अधिकारी श्री पी.आर.मतलाम, सहायक अभियंता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतागढ़ जिला कांकेर के पद पर पदस्थी के दौरान प्राथमिक शाला तहकानटोला में राशि रूपये 23,625.00 एवं हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य तुमसनार अंतागढ़ में राशि रूपये 23,625.00 का फर्जी मस्टररोल बनाकर शासकीय राशि का गबन किया गया है। अतः अपचारी अधिकारी के द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति की होने के कारण “दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने एवं उनके द्वारा शासन को पहुंचाई गई कुल शासकीय हानि राशि रूपये 47,250.00 (सैंतालिस हजार दो सौ पचास मात्र) की वसूली उनकी वेतन से किये जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।</p>	07/09/2016

34	70/2016/GS	23/08/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	विभागीय जांच—श्री धी.के. रजक, तत्का. सहायक अभियंता, जनपद पंचायत बागबाहरा जिला महासमुंद के विरुद्ध प्रशासकीय निर्णय अनुसार लिये गये दण्डादेश पर सहमति बाबत्।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोंपरांत अपचारी अधिकारी श्री धी.के.रजक, तत्का. सहायक अभियंता, जनपद पंचायत बागबाहरा जिला महासमुंद के विरुद्ध किये गये अनियमितता के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10(3) के तहत शासकीय क्षति राशि रूपये 2,06,213.00 (दो लाख छ. हजार दो सौ तेरह मात्र) की वसूली दण्डादेश अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	23/09/2016
35	81/2016/GS	14/09/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री अनिल कुमार ठाकुर, तत्का. कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सङ्क विकास अभिकरण, भैयाथान जिला सूरजपुर का तीन वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति पर लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर अभिमत / सहमति बाबत्।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोंपरांत अपचारी अधिकारी श्री अनिल कुमार ठाकुर तत्का. कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सङ्क विकास अभिकरण भैयाथान जिला सूरजपुर के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत 03 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	28/09/2016
36	85/2016/GS	20/09/2016	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री टिकेश्वर सिंह से. नि.रा.प्र.से. तत्कालीन तहसीलदार जांजगीर-चांपा।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोंपरांत अपचारी अधिकारी श्री टिकेश्वर सिंह सेवानिवृत्त रा.प्र. से.. डिप्टी कलेक्टर तत्कालीन तहसीलदार जांजगीर चांपा के पद पर पदस्थी के दौरान राजस्व प्रकरण में किये गये अनियमितता के फलस्वरूप उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1976 के नियम (9) के अंतर्गत उनकी पेंशन से 20 प्रतिशत राशि 03 वर्ष के लिये रोके जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/10/2016
37	74/2016/GS	27/08/2016	गृह जेल विभाग	विभागीय जांच— श्री एस. के. मिश्रा, वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी (जेल अधीक्षक, चालू प्रभार) जिला जेल महासमुंद।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण किया गया और पाया कि अपचारी अधिकारी श्री एस. के. मिश्रा, वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी जिला जेल महासमुंद द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही करते हुये आचरण नियम का उल्लंघन किया गया है। तथा इनके द्वारा जेल नियम का भी उल्लंघन किया गया है। जेल की सुरक्षा का मामला है जो काफी गंभीर मामला है। अतः श्री एस.के. मिश्रा द्वारा किये गये कृत्य गंभीर प्रवृत्ति के होने के कारण इनके विरुद्ध "01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने" के स्थान पर "02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आयोग की सहमति दी जाती है।	21/10/2016

## वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

38	95/2016/GS	07/10/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	विभागीय जांच—श्री एम.पी. खरे, तत्का. उप अभियंता वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी ग्रायांसे उप संभाग भोपालपटनम जिला बीजापुर के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने के प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत्।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोंपरांत अपचारी अधिकारी श्री एम.पी.खरे, तत्का. उप अभियंता, वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी ग्रायांसे उप संभाग भोपालपटनम जिला बीजापुर द्वारा पदरथी के दौरान शासकीय कार्य में किये गये लापरवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम—1966 के नियम 10 के तहत “01 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने” के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	03/11/2016
39	100/2016/GS	18/11/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री प्रकाश देवरे, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (निलंबित), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग केशकाल, जिला कोणडागांव के विरुद्ध लिए गए दण्ड के प्रशासकीय निर्णय पर सहमति/असहमति बाबत्।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोंपरांत अपचारी अधिकारी श्री प्रकाश देवरे, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग केशकाल जिला कोणडागांव में पदरथी के दौरान शासकीय कार्य में किये गये लापरवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम—1966 के नियम 10 (4) के तहत “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के” प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई है।	01/12/2016
40	107/2009/GS	09/11/2016	वन विभाग	विभागीय जांच — श्री के. आर. रामटेके, वनक्षेत्रपाल के विरुद्ध दीर्घशास्ति अधिरोपित करने बाबत्।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्री के. आर. रामटेके वनक्षेत्रपाल की विभागीय जांच के प्रकरण में हानि की राशि रु. 58,574/- की वसूली की जाकर उनकी एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के निर्णय से आयोग असहमत है तथा पूर्व में आयोग के पत्र दिनांक 04.05.2011 द्वारा अपचारी अधिकारी से राशि रूपये 58,574.00 वसूलने एवं सेवा से पृथक किये जाने के निर्णय पर आयोग सहमत है।	09/12/2016
41	95/2015/GS	21/10/2016	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	प्रकरण क्रमांक 145 / 2009 में लोक आयोग द्वारा पारित अनुशंसा के संबंध में।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोंपरांत अपचारी अधिकारी डॉ. एस. एल. आदिले, अधिष्ठाता तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम—1966 के नियम 10 (पांच) के तहत “03 वेतन वृद्धियों संचयी प्रभाव से रोके जाने” के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	09/12/2016

42	104/2016/GS	26/11/2016	जल संसाधन विभाग	श्री सी. पी. जैन, तत्का. कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, रायपुर के विरुद्ध विभागीय जांच करने बाबत।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्री सी. पी. जैन, तत्का. कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा सङ्कों के डामरीकरण कार्य में गंभीर अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 10 के तहत “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग सहमत है।	15/12/2016
43	109/2016/GS	01/12/2016	सामान्य प्रशासन विभाग	श्री अभय कुमार मिश्रा, (से. नि.रा.प्र.से.) तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, दंतेवाड़ा।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा, (से. नि.रा.प्र.से.), तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा शासकीय कार्य में किये गये अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवायें (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 के अंतर्गत उनकी पेंशन में से 10 प्रतिशत राशि 02 वर्ष के लिए रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	15/12/2016
44	110/2016/GS	01/12/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री आर. एन. चौबे, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, सरगुजा एवं श्री कमला सिंह यादव, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग, वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर के विरुद्ध लिये गये दण्ड के प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्री आर. एन. चौबे, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, सरगुजा एवं श्री कमला सिंह यादव, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग, वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर को पदस्थी के दौरान गोविन्दपुर जनपद पंचायत, प्रतापपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 10(4) के तहत “एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग सहमत है।	28/12/2016
45	93/2016/GS	01/10/2016	लोक निर्माण विभाग	हाईकोर्ट के निर्माणाधीन नवीन आवासीय एवं गैर आवासीय परिसर बिलासपुर में मिट्ठी भराई के भुगतान के प्रकरण में अधिरोपित दंड की सहमति के संबंध में। (श्री डी.के.जैन, एवं श्री ए.के.तिवारी के विरुद्ध)	प्रकरण पर आयोग में समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दोनों अपचारी अधिकारियों द्वारा किये गये कार्य गंभीर प्रवृत्ति के होने के कारण विभाग द्वारा प्रस्तावित दण्ड पेंशन का 10 प्रतिशत भाग 02 वर्ष तक रोके जाने के विभागीय निर्णय के स्थान पर दोनों अपचारी अधिकारी श्री डी. के. जैन तत्का. अधीक्षण अभियंता एवं श्री ए. के. तिवारी मुख्य अभियंता की 50 प्रतिशत भाग 05 वर्ष तक रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने के निर्णय पर सहमति दी गई।	03/01/2017

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

46	112/2016/GS	09/12/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री के.आर.जांगड़े, तत्का. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बेमेतरा का 02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति पर लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत् ।	उक्त प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री के.आर.जांगड़े, तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता द्वारा पदस्थी अवधि के दौरान निर्माण कार्यों में किये गये लापरवाही के कारण इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10(4) के तहत “02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई ।	05/01/2017
47	102/2016/GS	22/11/2016	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक भू-अभिलेख सरगुजा के पद पर पदस्थ थे तब उनके द्वारा अनेकों प्रकरणों में बंदोबस्त त्रुटी सुधार के नाम पर अनुचित, अनियमित एवं अधिकारित रहित आदेश पारित करते हुए शासकीय छोटे/बड़े झाड़ जंगल मद के भूमि को निजि व्यक्तियों के नाम भूमि स्वामी हक में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया । यह कृत्य उनके द्वारा अपने पदीय अधिकारों का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शासकीय भूमि को निजि व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा शासन को हानि पहुंचाने एवं शासन के प्रति संनिष्ठ नहीं रहने का प्रयास किया गया है जो कि अत्यन्त गंभीर स्वरूप का है । अतः प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10 के नियम 7 के अंतर्गत श्री प्रसाद की आगामी “दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के” स्थान पर अपचारी अधिकारी के विरुद्ध “अनिवार्य सेवानिवृत्ति” का दण्ड अधिरोपित किया जावे ।	उक्त प्रकरण पर आयोग द्वारा समग्र परीक्षणोपरांत पाया गया कि—अपचारी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद अधीक्षक भू—अभिलेख सरगुजा के पद पर पदस्थ थे तब उनके द्वारा अनेकों प्रकरणों में बंदोबस्त त्रुटी सुधार के नाम पर अनुचित, अनियमित एवं अधिकारित रहित आदेश पारित करते हुए शासकीय छोटे/बड़े झाड़ जंगल मद के भूमि को निजि व्यक्तियों के नाम भूमि स्वामी हक में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया । यह कृत्य उनके द्वारा अपने पदीय अधिकारों का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शासकीय भूमि को निजि व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा शासन को हानि पहुंचाने एवं शासन के प्रति संनिष्ठ नहीं रहने का प्रयास किया गया है जो कि अत्यन्त गंभीर स्वरूप का है । अतः प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10 के नियम 7 के अंतर्गत श्री प्रसाद की आगामी “दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के” स्थान पर अपचारी अधिकारी के विरुद्ध “अनिवार्य सेवानिवृत्ति” का दण्ड अधिरोपित किया जावे ।	17/01/2017
48	107/2009/GS	09/11/2016	वन विभाग	विभागीय जांच श्री के.आर. रामटेके, वनक्षेत्रपाल के विरुद्ध दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने बाबत् ।	आयोग द्वारा प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत श्री के.आर. रामटेके वनक्षेत्रपाल से प्रकरण में हानि राशि 58574/- की वसूली की जाकर उनकी एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के पुनरीक्षित शास्ति अधिरोपित करने के प्रावधिक निर्णय पर सहमति दी गई ।	25/01/2017

49	129/2016/GS	22/12/2016	लोक निर्माण विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध श्री पी. के. बेनर्जी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्री पी. के. बेनर्जी, कार्यपालन अभियंता द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 10 (5) के तहत “05 वेतन वृद्धि संचयी” प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग सहमत है।	27/01/2017
50	101/2016/GS	18/11/2016	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	विभागीय जांच-श्री परीक्षित चौधरी, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड— जांजगीर चांपा W.P.(s) No. 5132/2011 श्री राजेश शर्मा विरुद्ध छ.ग. शासन व 04 अन्य।	उक्त प्रकरण का परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री परीक्षित चौधरी तत्का. कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड जांजगीर चांपा वर्तमान में खण्ड महासमुद्र द्वारा निविदा प्रक्रिया की कार्यवाही कार्य नियमावली के अनुरूप अपने दायित्वों का पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय के साथ ही प्रमाणित अनियमितता के कारण शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली भी आरोपी अधिकारी से की जावे की सहमति दी गई।	31/01/2017
51	142/2016/GS	20/01/2017	स्कूल शिक्षा विभाग	अपराध क्रमांक 48 / 2008 विरुद्ध श्री दिलीप कुमार चंद्राकर, जिला शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर, जिला कोरिया।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्री दिलीप कुमार चंद्राकर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया को अपराध क्रमांक 48 / 2008 में न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत “सेवा से पदच्युत (Dismissal)” किये जाने के निर्णय पर आयोग सहमत है।	02/02/2017
52	141/2016/GS	19/01/2007	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री एस. के. मित्रा, तत्का. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सुकमा का 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति पर <sup>लिये गये प्रशासकीय निर्णय</sup> पर सहमति बाबत्।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्री एस. के. मित्रा, तत्का. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सुकमा के विरुद्ध पदस्थी के दौरान निर्माण कार्यों के संपादन में नियमों का उल्लंघन कर वित्तीय अनियमितता किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत “01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव” से रोके जाने के अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	09/02/2017

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

53	150/2016/GS	02/02/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री अरूण कुमार शर्मा, तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, गरियाबंद वर्तमान में प्रभारी कार्यपालन अभियंता, ग्रायांसे संभाग, कोण्डागांव के विरुद्ध 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करने हेतु अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत्।	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री अरूण कुमार शर्मा, तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी संभाग, गरियाबंद वर्तमान में प्रभारी कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोण्डागांव द्वारा निविदा कार्य में किये गये लापरवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम— 1966 के नियम—10(4) के तहत “01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	09/02/2017
54	149/2016/GS	02/02/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री आर. के. राठौर, प्रभारी कार्यपालन अभियंता एवं श्री परीक्षित सूर्यवंशी, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग मुंगेली के विरुद्ध 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति पर लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत्।	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत विभाग द्वारा प्रस्तावित अपचारी अधिकारी श्री आर. के.राठौर, सहायक अभियंता तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मुंगेली एवं श्री परीक्षित सूर्यवंशी, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग मुंगेली द्वारा पदस्थी के दौरान निर्माण कार्य में किये गये लापरवाही के फलस्वरूप दोनों अधिकारी के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम—1966 के नियम 10(4) के तहत 01—01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करने के अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	14/02/2017
55	151/2016/GS	03/02/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	श्री किशन टंडन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, गरियाबंद के विरुद्ध लघुशास्ति अधिरोपित करने के संबंध में।	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत विभाग द्वारा प्रस्तावित अपचारी अधिकारी श्री किशन टंडन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, गरियाबंद द्वारा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही बरती जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम—1966 के नियम—10(4) के तहत “03 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित करने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	14/02/2017
56	148/2016/GS	01/02/2017	ग्रामोद्योग विभाग	विभागीय जांच—श्री विष्णु प्रसाद धकाते, सहायक संचालक (हाथकरघा)।	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री विष्णु प्रसाद धकाते द्वारा आरक्षित वर्ग का लाभ अनुचित एवं गलत तरीके से प्राप्त करने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध “उनके प्रथम नियुक्ति के पद निरीक्षक (हाथकरघा) के पद पर पदावनत किये जाने एवं उन्हें दिये गये पदोन्नति	16/02/2017

					फलस्वरूप प्राप्त आर्थिक लाभ की वसूली भी की जाए, ताकि किसी अन्य द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जा सके” के पारित आदेश दिनांक 14.09.2016 में लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	
57	154/2016/GS	07/02/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री कमल शर्मा, तत्का. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बरस्तर संभाग, जगदलपुर की 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करते हुये लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्री कमल शर्मा, तत्का. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बरस्तर संभाग, जगदलपुर में पदस्थी के दौरान राजीव गांधी पंचायतीराज सशक्तीकरण अभियान के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने में रुचि नहीं लेने के कारण इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	17/02/2017
58	146//2016/GS	30/01/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री आर.के.पटौडी, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरहरपुर का 02 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति पर लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत।	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत पाया गया कि पटौडी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में गलती होना स्वीकार किया है। उनके उपर लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का नहीं है। अपचारी अधिकारी अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा मांगी गई है। यदि गलती स्वीकार कर रहे हैं तो उनकी दण्ड कम की जा सकती है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री पटौडी की 02 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने में आयोग सहमत नहीं है। अतः अपचारी अधिकारी श्री आर.के.पटौडी, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरहरपुर, जिला कांकेर वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बालोद, जिला बालोद द्वारा शासकीय कार्य में किये गये अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तावित छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम—1966 के नियम 10(4) के तहत “02 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने” के स्थान पर “02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित किया जावे की सहमति दी गई।	15/02/2017
59	79/2016/GS	10/02/2017	गृह जेल विभाग	श्री एस.एस.तिग्गा, तत्का. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल दुर्ग के विरुद्ध विभागीय जांच।	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एस.एस.तिग्गा, तत्कालीन जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल दुर्ग द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन एवं जेल	01/03/2017

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

					विभाग के परिपत्र/नियम निर्देशों में किये गये लापरवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध “आगामी 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” का दण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	
60	140/2016/GS	10/02/2017	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	श्री नीलम टोप्पो, तत्कालीन तहसीलदार पुसौर जिला रायगढ़ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्री नीलम टोप्पो, तत्कालीन तहसीलदार पुसौर जिला रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के अंतर्गत नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) लारा परियोजना के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अपात्र व्यवितयों को मुआवजा तथा वार्षिकी का अनुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से छ.ग. भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत विधि विरुद्ध ढंग से नामांतरण तथा बंटवारा किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत “02 वेतनवृद्धि असंचयी” प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	02/03/2017
61	14/2016/GS	24/01/2017	गृह विभाग	श्री महेंद्र सिंह परिहार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी को दीर्घ शासित से दंडित किये जाने के संबंध में।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्री महेंद्र सिंह परिहार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, राजनांदगांव सम्बद्ध जगदलपुर के पद पर रहते हुये स्वयं को डी.एस.पी. बताते हुये पुलिस की वर्दी में उपस्थित होना व चेकरोल काल बजावाकर फोर्स को फालिंग कराने एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के दायित्वों एवं अधिकारों के विपरीत मनमाने ढंग से कार्य करने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की धारा 3 की उपधारा 1(3) का उल्लंघन किये जाने के कारण इनके विरुद्ध “अनिवार्य सेवानिवृत्ति” के दीर्घ शासित के दण्ड से दंडित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	07/03/2017
62	85/2016/GS	25/01/2017	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री टिकेश्वर सिंह, से.नि. रा.प्र.से. तत्कालीन तहसीलदार जांजगीर-चांपा।	प्रकरण पर परीक्षणोपरांत पाया गया कि प्रकरण में श्री सिंह द्वारा राजस्व प्रकरण में पारित आदेश को तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा पुनर्विलोकन में लेते हुये दिनांक 19.12.2011 द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि को मूलतः शासन के पक्ष में समाहित करने संबंधी कार्यवाही की	21/03/2017

					जा चुकी है। अपचारी अधिकारी श्री टिकेश्वर सिंह, से.नि. रा.प्र.से. डिप्टी कलेक्टर तत्कालीन तहसीलदार जांजगीर-चांपा के प्रकरण में लिये गये प्रावधिक निर्णय पर विभाग द्वारा पुनर्विचार करते हुये प्रस्तावित दण्ड पेंशन का 20 प्रतिशत राशि 03 वर्ष के लिये रोके जाने के रथान पर पेंशन से 05 प्रतिशत राशि 03 वर्ष के लिये रोके जाने के विभागीय निर्णय पर सहमति दी गई।	
63	170/2013/GS	20/02/2017	वन विभाग	सेवा से बहाल करने बाबत। श्री अशोक कुमार सोनवानी, पदच्युत वनक्षेत्रपाल।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि “चूंकि आरोपी वनक्षेत्रपाल श्री सोनवानी को दीर्घ शास्ति से दण्डित करने की कार्यवाही अपराधिक प्रकरण में पारित दण्डादेश के साथ-साथ उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में अधिरोपित कदाचरण का आरोप पूर्णतः प्रमाणित होना पाये जाने के आधार पर किया गया है तथा अधिरोपित दण्ड प्रमाणित आरोप के गंभीरता के अनुपात में उचित है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दाइडक अपील में मात्र तकनीकी आधार पर किये गये आरोप मुक्ति के आधार पर विभागीय जांच प्रकरण में भी अधिरोपित आरोप को प्रमाणित नहीं होना नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त कारणों से श्री सोनवानी को आरोप मुक्त कर सेवा बहाली के विभागीय प्रस्ताव से आयोग सहमत नहीं है।”	22/03/2017
64	160/2016/GS	28/02/2017	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही – श्री जे.आर. चौरसिया (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ द्वारा पदस्थी अवधि के दौरान राजस्व प्रकरण में अपने कर्तव्यों के प्रति किये गये लापरवाही तथा छ.ग. भू-राजस्व संहिता नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10(चार) के तहत “01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।		24/03/2017

## वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

65	159/2016/GS	22/02/2017	जल संसाधन विभाग	निलंबन से बहाल— श्री ही.एस. दीवान, सहायक अभियंता।	उक्त प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण किया और पाया कि अपचारी अधिकारी श्री ही.एस. दीवान, सहायक अभियंता द्वारा स्थानांतरण नीति के तहत प्रशासनिक दृष्टि से किये गये स्थानांतरण का पालन नहीं किये जाने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति किये गये लापरवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10 (चार) के तहत “दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	24/03/2017
----	-------------	------------	-----------------------	---	--	------------

**परिशिष्ट - सात**

**मांग संख्या 01, लेखा शीर्ष 2051 लोक सेवा आयोग, (102) राज्य लोक सेवा आयोग, (3689)**  
**राज्य लोक सेवा आयोग (आयोजनेतर) वित्तीय वर्ष 2016-17 माह 01.04.2016 से 31.03.2017**  
**तक व्यय एवं समर्पण**

**आयोजना/आयोजनेतर/दल्लमत/भारित**

**(राशि रूपयों में)**

बजट शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2016-17 के लिये बजट			वर्ष के दौरान अन्य मद से प्राप्त पुनर्वितरण जन (+)	कुल योग (6) + (7)	वर्ष 2016-17 के दौरान कुल से किया गया पुनर्वितरण जन (-)	कुल योग (8)-(9)	वर्ष 2016-17 के दौरान कुल व्यय	बचत राशि	समर्पण हेतु राशि	समर्पण के कारण एवं अभ्युक्तियाँ	
	मूल बजट	प्रावधान	दूसीय अनु अनु पूरक		कुल बजट प्रावधान							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
#01-वेतन भत्ते, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
001 वेतन	2,94,58,000	-	-	-	2,94,58,000	0	2,94,58,000	6,00,000	2,88,58,000	1,80,47,040	1,08,10,960	1,08,10,960
003 महाराई भत्ता	2,77,20,000	-	-	-	2,77,20,000	0	2,77,20,000	0	2,77,20,000	2,31,94,642	45,25,358	45,25,358
014 अन्य भत्ते	35,00,000	-	-	-	35,00,000	0	35,00,000	0	35,00,000	30,20,834	4,79,166	4,79,166
016 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	6,00,000	-	-	-	6,00,000	6,00,000	12,00,000	0	12,00,000	7,70,003	4,29,997	4,29,997
020 चौहार अंगम	5,00,000	-	-	-	5,00,000	0	5,00,000	0	5,00,000	3,28,000	1,72,000	1,72,000
021 धनाड्य - वापसियाँ	-5,00,000	-	-	-	-5,00,000	-	-5,00,000	-	-5,00,000	-	-5,00,000	-
024 चिकित्सा अंगम	50,000	-	-	-	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	50,000	-

# वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

025 घटाइये - वापसियों	-50,000	-	-	-50,000	-	-50,000	-	-50,000	-	-50,000	-
योग उद्देश्य शीर्ष #01	<b>6,12,78,000</b>	-	-	<b>6,12,78,000</b>	<b>6,00,000</b>	<b>6,18,78,000</b>	<b>6,00,000</b>	<b>6,12,78,000</b>	<b>4,50,32,519</b>	<b>1,62,45,481</b>	<b>1,62,45,481</b>
#02- मजदूरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005- दैनिक वेतनमात्रा	11,00,000	-	-	11,00,000	0	11,00,000	0	11,00,000	8,42,776	2,57,224	2,57,224
योग उद्देश्य शीर्ष #02	<b>11,00,000</b>	-	-	<b>11,00,000</b>	<b>0</b>	<b>11,00,000</b>	<b>0</b>	<b>11,00,000</b>	<b>8,42,776</b>	<b>2,57,224</b>	<b>2,57,224</b>
#03- यात्रा भत्ता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 यात्रा भत्ता दौरे आहि पर	5,00,000	-	-	5,00,000	0	5,00,000	0	5,00,000	2,51,431	2,48,569	2,48,569
002 यात्रा भत्ता स्थानान्तरण	1,00,000	-	-	1,00,000	0	1,00,000	0	1,00,000	19,985	80,015	80,015
006 अवकाश यात्रा मुद्रिता	3,00,000	-	-	3,00,000	0	3,00,000	0	3,00,000	0	3,00,000	3,00,000
योग उद्देश्य शीर्ष #03	<b>9,00,000</b>	-	-	<b>9,00,000</b>	<b>0</b>	<b>9,00,000</b>	<b>0</b>	<b>9,00,000</b>	<b>2,71,416</b>	<b>6,28,584</b>	<b>6,28,584</b>
#04- कार्यालय व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 डाकतार व्यय	20,000	-	-	20,000	-	20,000	0	20,000	18,000	2,000	2,000
002 दूसार व्यय	3,50,000	-	-	3,50,000	-	3,50,000	0	3,50,000	3,23,908	26,092	26,092
003 कर्मीवर एवं काशी,उप. एवं नि.	10,00,000	-	-	10,00,000	-	10,00,000	0	10,00,000	8,66,464	1,33,536	1,33,536
004 पुस्तक एवं पत्रिकाएँ	2,00,000	-	-	2,00,000	-	2,00,000	0	2,00,000	1,62,805	37,195	37,195

005 बिजली एवं जल प्रभार	8,00,000	-	-	8,00,000	2,40,000	10,40,000	0	10,40,000	8,94,318	1,45,682	1,45,682	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
006 वर्तियां	50,000	-	-	50,000	-	50,000	0	50,000	43,521	6,479	6,479	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
007 तेजुन समझी एवं फार्म की छपाई	4,00,000	-	-	4,00,000	-	4,00,000	0	4,00,000	3,99,378	622	622	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
008 अन्य आकास्मिक खर्च	7,50,000	-	-	7,50,000	-	7,50,000	0	7,50,000	7,49,805	195	195	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
009 मुख्या प्रौद्योगिकी तेल आदि	2,00,000	-	-	2,00,000	-	2,00,000	0	2,00,000	1,99,661	339	339	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
011 पट्टोल तेल आदि	9,00,000	-	-	9,00,000	-	9,00,000	0	9,00,000	7,94,953	1,05,047	1,05,047	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
012 आतिथ्य पर खर्च	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000	49,433	567	567	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
योग उद्दरेश्य #04	47,20,000	-	-	47,20,000	2,40,000	49,60,000	0	49,60,000	45,02,246	4,57,754	4,57,754	
#05— प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
001 अधिकारी/ कर्मचारियों का प्रशिक्षण	3,00,000	-	-	3,00,000	-	3,00,000	2,40,000	60,000	0	60,000	60,000	अधिकारी/ कर्मचारियों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते के कारण
योग उद्दरेश्य #05	3,00,000	-	-	3,00,000	0	3,00,000	2,40,000	60,000	0	60,000	60,000	
#10— व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
001 परिषक्क मानदेश	1,20,00,000	-	-	1,20,00,000	0	1,20,00,000	0	1,20,00,000	1,05,00,000	15,00,000	15,00,000	
002 परिष्का खर्च	8,00,00,000	-	-	8,00,00,000	0	8,00,00,000	0	8,00,00,000	7,62,26,000	37,74,000	37,74,000	
005 प्राइवेट अभियांकों को फोरेस	18,00,000	-	-	18,00,000	0	18,00,000	0	18,00,000	10,00,000	8,00,000	8,00,000	
010 सुरक्षा खर्च	4,00,000	-	-	4,00,000	0	4,00,000	0	4,00,000	3,56,795	43,205	43,205	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
योग उद्दरेश्य #10	9,42,00,000	-	-	9,42,00,000	-	9,42,00,000	-	9,42,00,000	8,80,82,795	61,17,205	61,17,205	

#24— अनुसंधान कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
001 मोटर गाडी	4,00,000	—	—	4,00,000	0	4,00,000	0	4,00,000	0	4,00,000	2,30,578	1,69,422
योगा उद्दरश्य #24	4,00,000	—	—	—	4,00,000	0	4,00,000	0	4,00,000	2,30,578	1,69,422	आपरायकरातानुसार खुच किया गया
#34— वाहनों का क्रमांक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
001 प्रतिस्थापन	12,00,000	—	—	12,00,000	0	12,00,000	0	12,00,000	0	12,00,000	11,09,503	90,497
योगा उद्दरश्य #34	12,00,000	—	—	—	12,00,000	0	12,00,000	0	12,00,000	11,09,503	90,497	आपरायकराता त्रुटी खुच किया गया
महायोग	16,40,98,000	—	—	16,40,98,000	8,40,000	16,40,98,000	8,40,000	16,40,98,000	8,40,000	16,40,98,000	14,00,71,833	2,40,26,167
												2,40,26,167

## बजट का समर्पण विवरण

- + बचत **2,40,26,167**
  - अधिक्य **निरंक**
- 
- कुल शेष बचत — 2,40,26,167**
- का समर्पण**

नोट:- आयोग कार्यालय के पत्र क्रमांक 24 / 50 / 2016-17 / लेखा दिनांक 05.04.2017 द्वारा बचत राशि सामान्य प्रशासन विभाग को समर्पित किया गया ।





**छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग**

**Website : [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in)**